

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015—चैत्र 6, शक 1937

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. ई-5-805-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 16 जनवरी 2015 तक चार दिन का कार्योत्तर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्र. ई-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 2 से 9 मार्च 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 10 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2015

क्र. ई-5-947-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आय.ए.एस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 30 जनवरी से 10 फरवरी 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री नीरज दुबे, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 12 से 24 जनवरी, 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 जनवरी, 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री के. सी. जैन, आय.ए.एस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2015 द्वारा दिनांक 19 से 31 जनवरी 2015 तक कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 20 मार्च 2015 तक कुल बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21, 22 मार्च, 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-321-2014-5-एक .—श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भा.प्र.से. (2007), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर, यू.आई.डी.ए.आई., राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर, यू.आई.डी.ए.आई., राज्य योजना आयोग के प्रभार से मुक्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2015

क्र. ई-5-917-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 9 से 13 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 मार्च 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. ई-5-803-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आय.ए.एस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग द्वारा दिनांक 4 से 10 मार्च 2015 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश पर प्रस्थान होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(2) श्री के. के. खरे की लघुकृत अवकाश अवधि में श्री पी. नरहरि, भा.प्र.से. (2001) कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. नरहरि, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2015

क्र. ई-5-609-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भा.प्र.से. (1992) को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 मार्च से 9 अप्रैल 2015 तक चालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2015

क्र. ई-5-918-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 2 से 13 मार्च 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 14, 15 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

क्र. ई-1-26-2012-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012-AIS(I)-B, दिनांक 9 जनवरी 2015 जिसके द्वारा श्री अरूण कुमार तोमर, रा. प्र. से., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में दिनांक 9 जनवरी 2015 को नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में श्री तोमर, जो रा.प्र.से. संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 9 जनवरी 2015 से भा.प्र.से. संवर्ग के उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-77-2015-5-एक.—श्री आई. सी. पी. केशरी, भा.प्र.से. (1988), प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग को ऊर्जा संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2015

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2015

क्र. ई-1-76-2015-5-एक.—श्री जयदीप गोविन्द, भा.प्र.से. (1984) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती है।

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को दिनांक 9 से 20 मार्च, 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 21, 22 मार्च, 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली, को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-1-76-2015-5-एक-ए.—श्री जयदीप गोविन्द, भा.प्र.से. (1984) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग की सेवायें भारत सरकार को सौंपे जाने के फलस्वरूप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का प्रभार श्री एस. एस. बंसल, भा.प्र.से. (1998) वि.क.अ.-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (निर्वाचन) को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-51-2015-5-एक.—श्री मलय श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का प्रभार भी सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 24 अप्रैल 2015 से 2 मई, 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, की अवकाश अवधि में श्रीमती जमुना भिडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जमुना भिडे कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 24 अप्रैल 2015 से 8 मई, 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संजीव सिंह, की अवकाश अवधि में श्री जे. सी. बौरासी, अपर कलेक्टर, मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव सिंह, द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. सी. बौरासी, कलेक्टर, जिला मंदसौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-874-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल, आय.ए.एस. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को पूर्व में स्वीकृत (दिनांक 15 सितम्बर 2014 से 13 मार्च 2015 तक एक सौ अस्सी दिन) प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 मार्च 2015 से 25 अप्रैल 2015 तक तेंतालीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 26 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. ई-1-446-2014-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, भा.प्र.से. (1993) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-848-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आय.ए.एस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 23 से 27 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 1 से 2 जनवरी 2015 तक दो दिन तथा दिनांक 12 फरवरी 2015 एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-887-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 20 अप्रैल 2015 से 2 मई 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री एच. एस. मीना, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एस. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-903-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, आय.ए.एस., अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 11 से 19 मार्च 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-872-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आय.ए.एस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को दिनांक 2 से 13 मार्च 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण सिंह अढायच, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीण सिंह अढायच उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-960-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हर्ष दीक्षित, आय.ए.एस., सहायक कलेक्टर, झाबुआ को दिनांक 2 से 20 फरवरी 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 1 एवं 21 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश में से दिनांक 13 से 20 फरवरी 2015 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्ष दीक्षित को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हर्ष दीक्षित को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्ष दीक्षित अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-923-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती निधि निवेदिता, आय.ए.एस., अनुविभागीय अधिकारी, पाण्डुर्ना (छिंदवाड़ा)

को दिनांक 23 मार्च 2015 से 18 सितम्बर 2015 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती निधि निवेदिता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. आर. बिल्वे, संयुक्त कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि निवेदिता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, पाण्डुर्ना (छिंदवाड़ा) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती निधि निवेदिता, अनुविभागीय अधिकारी, पाण्डुर्ना (छिंदवाड़ा) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. आर. बिल्वे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती निधि निवेदिता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि निवेदिता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-857-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी., आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 16 से 20 मार्च 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मार्च 2015 एवं 21, 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2015

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आय.ए.एस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2015 द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2015 से 5 मार्च 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 21, 22 फरवरी 2015 एवं दिनांक 6 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 फरवरी 2015 से 5 मार्च 2015 तक नौ दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, दिनांक 6 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2015 द्वारा अनुसार यथावत्।

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला खरगोन को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मार्च 2015 द्वारा दिनांक 12 से 24 जनवरी 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 12 से 15 जनवरी 2015 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मार्च, 2015 अनुसार यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक"।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)43-2009-4259-इक्कीस-ब(एक)-14.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(1)/13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 38 एवं 65 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	श्री दीप नारायण सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
38.	श्री जयदीप सिंह, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
65.	श्रीमति सविता ओगले, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बुधनी	सीहोर	बुधनी	बुधनी.”

F.No. 17(E)43-2009-4259-XXI-B(1)-14.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)/13, dated 10th May 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 3, 38 and 65 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S.No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Shri Deep Narayan Singh, IInd Civil Judge Class-II.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
38.	Shri Jaideep Singh, VIth Civil Judge Class-I.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
65.	Smt. Savita Ogle, Civil Judge Class-I.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni."

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2015

फा. क्र. 3(बी)01-2015-इक्कीस-ब(एक)-802.—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अरूण कुमार पाण्डे (कनिष्ठ), व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ब्यौहारी, जिला शहडोल के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 28 नवम्बर 2014 तथा फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 20 जनवरी 2015 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने की अनुशंसा की है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अरूण कुमार पाण्डे (कनिष्ठ), व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ब्यौहारी, जिला शहडोल को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत (Dismiss) किया जाए।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-10 (9) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा, राज्य शासन, श्री अरूण कुमार पाण्डे (कनिष्ठ), व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ब्यौहारी, जिला शहडोल को पद से (सेवा से) दीर्घ शास्ति स्वरूप पदच्युत (Dismiss) करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.



भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

फा. क्र. 1 (बी)-5-2005-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, श्री लल्लू लाल जैन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला विदिशा का त्यागपत्र दिनांक 23 फरवरी 2015 से एतद्वारा स्वीकार करता है.

फा. क्र. 1(सी)-16-2014-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार सागर जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार श्री पूरन लाल लारिया, अधिवक्ता को जिला सागर में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. उक्त नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2015

फा. क्र. 1(बी)01-2015-इक्कीस-ब-(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2015 द्वारा क्रमांक 4 पर अंकित अधिवक्ता श्री पूरन लाल लारिया, सागर की अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर के पद पर की गई नियुक्ति निरस्त करता है.

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राम अवतार तिवारी पुत्र स्व. श्री जयगोपाल तिवारी, अधिवक्ता, जिला सागर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सागर सत्र खण्ड के सागर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला सागर नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2015

क्र. एफ 1(ए) 77-2005-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 फरवरी 2015 द्वारा श्री डी. के. आर्य, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगौन को दिनांक 22 जनवरी से 10 फरवरी 2015 तक कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) श्री डी. के. आर्य, भापुसे, को उक्त अवकाश का स्वीकृति आदेश समय पर नहीं मिलने के कारण वह उक्त अवकाश का लाभ नहीं ले सके. अतः स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उक्त अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ 1(ए)7-2012-ब-2-दो.—श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 7 मार्च 2015 द्वारा स्वीकृत दिनांक 30 मार्च 2015 से 13 अप्रैल 2015 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर-गुन्डूर (आन्ध्रप्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| 1. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती काल्की चक्रवर्ती  | — | पत्नी  |
| 3. कु. आद्या                 | — | पुत्री |

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

क्र. एफ-1(ए) 400-88-ब-2-दो.—श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, को घरेलू कार्य हेतु दिनांक 4 से 10 अप्रैल 2015 तक सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 अप्रैल 2015 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.**

## पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-6-4-2008-चौवन-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु मान. प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में नव निर्वाचित विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह मान. विधायक-भोपाल (अल्पसंख्यक बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र) एवं नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि/जिला पंचायत सदस्य (3 सदस्य) क्रमशः श्रीमती रचना महेन्द्र (शेरू) अध्यक्ष जिला पंचायत, भोपाल, श्रीमती उर्मिला मरेठा, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सीहोर एवं श्रीमती गायत्री देवी पाटीदार, अध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर को समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जी. एस. खैरवार, उपसचिव.**

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय

समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त नगरपालिका निगम नगर सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशीष सक्सेना, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-26-2014-बत्तीस, दिनांक 16 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. के. मुदगल, अवर सचिव.**

NOTICE

Bhopal, the 16th March 2015

No. F. 3-26-2014-XXXII-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Singraulli, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Singraulli, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Municipal Corporation Singraulli, Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. office Singraulli, Madhya Pradesh

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**ASHISH SAXENA, Dy. Secy.**

**सूचना**

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-156-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सेंधवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सेंधवा, मध्यप्रदेश.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशीष सक्सेना**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-156-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-156-2011-बत्तीस, दिनांक 16 मार्च 2015का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. के. मुदगल**, अवर सचिव.

**NOTICE**

Bhopal, the 16th March 2015

No. F. 3-156-2011-XXXII-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Sendhawa, 2021 (Planning Area) under sub-section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Collector, District Badwani, Madhya Pradesh.
2. Chief, Municipal officer, Municipal Council Sendhwa Madhya Pradesh.
3. Assistant Director, Town & Country Planning Distt. office Khargone, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh. Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**ASHISH SAXENA**, Dy. Secy.

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

क्र. 962-524-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

**अनुसूची**

क्र.	बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बड़वानी	बड़वानी	1. श्रीमती प्रेरणा जोशी सदस्य

No. 962-524-15-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

**SCHEDULE**

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badwani	Badwani	1. Smt. Prerna Joshi -Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रजनी उइके**, अपर सचिव.

**राजस्व विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. एफ-12-15-2014-सात-2ए.—राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2011-सात-2ए, दिनांक 27 फरवरी 2012 द्वारा जे. पी. कोल लिमिटेड को कोयला खनन, कोल हैंडलिंग संयंत्र, माइन्स वर्कशाल टाउनशिप एवं रोड हेतु जिला सिंगरौली, ग्राम डोंगरी की 177.550 हे. ग्राम भैंसाबूड़ा की 153.210 हे. एवं ग्राम डिगवाह की 93.840 हे. निजी भूमि कुल 424.600 हेक्टेयर निजी भूमि को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत सशर्त भू-अर्जन करने की स्वीकृति दी गई थी.

(2) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 22 जून 2012 को तथा धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 7 जून 2013 को किया गया.

(3) राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उपरोक्त पैरा-2 में उल्लेखित प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिए गए विवरण अनुसार उक्त भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है.

(4) अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 में वर्णित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही प्रत्याहृत की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. के. रजक, उपसचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

क्रमांक भू-अर्जन-2015-2927

उज्जैन, दिनांक 23 मार्च 2015

प्ररूप-घ  
(नियम 6 देखिये)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोजमखेड़ी से मोजमखेड़ी ग्राम मोजमखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन से ग्राम मोजमखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 फरवरी 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	मोजमखेड़ी 36	76/2 78	0.065 0.110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			79	0.090
			89	0.200
			88	0.100
			87	0.025
			154/2, 153/1/2	0.110
			143	0.016
			114/2	0.060
			144	0.055
			115	0.020
			190/7	0.175
			191/3	0.040
			148/1	0.020
			149	0.008
			150	0.080
			151	0.040
			152	0.018
			147	0.035
			81	0.030
			145	0.015
			146	0.010
			योग . . .	<u>1.322</u>

प्ररूप-घ  
(नियम 6 देखिये)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1544/15 दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए सांवराखेड़ी से सांवराखेड़ी ग्राम सांवराखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सांवराखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 फरवरी 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिये भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	सांवराखेड़ी 23/37	183/2	0.0274
			184/1	0.0457
			185/1	0.0040
			185/2	0.0571
			119/1	0.0045
			119/2	0.0388
			120/1	0.0387
			120/2	0.0410
			120/3 मीन 2	0.0411
			120/4 मीन 2	0.0068
			171, 173/2	0.1532
			174	0.0068
			20	0.2012
			152	0.0080
			6	0.0228
			8	0.0205
			21/2, 151/1	0.1463
			172/2, 173/1/1	
			175/1/2	0.0034
			175/2/2	0.0331
			169/1 मीन 1	0.0251
			169/1 मीन 2	0.0252
			169/2/2 मीन 1	
			176/1/2/2/2	0.0331
			178/1/6	
			176/1/2/1/5	
			176/1/2/2/1	0.0503
			178/1/5	
			176/1/2/1/4	0.0411
			178/1/4	
			176/1/2/1/3	0.0182
			178/1/3	
			योग	1.0934

## प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्र. भू-अर्जन-2015-3003.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खान नदी के जल परिवहन हेतु कस्बा उज्जैन तहसील उज्जैन जिला उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स के. के. स्पन पाईप प्रा. लि. फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन म. प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन 24/38	3315	0.0846
			3318/2	0.0846
			2679/1 मीन	0.1874
			2680/1	
			2680/2	0.2012
			2680/4	
			3	0.2012
			2754	0.0020
			2752	0.0868
			2769	0.0091
			2770	0.0430
			4	0.1409
			3342	0.1806
			2635/1	0.1737
			2641 मीन	0.4115
			2	0.5852
			2771	0.0110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन 24/38	2772 मीन	0.0182
			2773 मी	0.0147
			3	0.0439
			2755	0.0228
			2772 मीन	0.0068
			2775/2	0.0480
			220 मीन	0.0914
			221	0.0091
			2	0.1005
			223 मीन	0.0091
			226	0.1280
			2	0.1371
			133/3	0.0182
			133/2	0.1098
			119/1	0.0571
			123/1/4	0.0094
			132/3	0.0548
			133/1	0.0480
			3	0.1122
			126/1/1	0.0183
			120	0.0891
			122	0.0020
			123/2	0.0822
			3	0.1733
			2741/1/1	0.2308
			2786/5/2	0.0571
			2786/6/2	0.0093
			2786/7/1	0.0571
			2786/9/1	0.0117
			2786/8/1	0.0434
			2750	0.0503
			2751	0.0091
			2775/1	0.0032



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन 24/38	2784/3	0.0091
			9	0.2503
			2747, 2748,	
			2749/1, 2786/5,	
			2786/7/2,	0.0167
			2786/8/2,	
			2786/9/2	
			21/2/2	0.0663
			24	0.0205
			25	0.1734
			3	0.2602
			21/2/1	0.0594
			17	0.0411
			18/2	0.0183
			20/2	0.0046
			21/1	0.0480
			4	0.1120
			20/1	0.0046
			18/1	0.0183
			19	0.0503
			2	0.0686
			7	0.0062
			11 मीन	0.0114
			12	0.0094
			13	0.0960
			15/2	0.0365
			5	0.1595
			15/1	0.0365
			5/1	0.0183
			72/1	0.0320
			2	0.0503
			3336 मीन	
			3336 मीन	0.2423
			3336 मीन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन 24/38	3	0.2423
			3319 मीन	0.0068
			3319 मीन	
			2	0.0068
			2641 मीन	0.0160
			124/1/2	0.0205
			124/3	
			2	0.0205
			591/1	0.0343
			593/1	
			2	
			593/2	
			594	
			609/2	
			610	0.0617
			611	
			612/2	
			613/5	
			7	
			592	0.0206
			598/3	
			601/2	0.0776
			601/3	
			3	
			602/1	
			603/2	
			2735/1	0.1005
			3	
			16	0.2947
			123/1/3	0.0114
			88	4.1530

रोहन सक्सेना, भू-अर्जन अधिकारी.

## लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 20 मार्च 2015

क्रमांक ~~खण्ड-२३-१/२०१५/सं./१९~~ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

### D) "खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	सीधी-व्योहारी (राज्य राजमार्ग क्र.-55)	71.29	सीधी-शहडोल

### खण्ड - "ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
सीधी	गोपदबनास	जमोडी सेगरान	360, 358, 361, 362, 357, 363, 356, 355, 354, 353, 351, 352, 354/1, 340, 367, 365	360, 358, 361, 362, 357, 363, 356, 355, 354, 353, 351, 352, 354/1, 340, 367, 365, 350, 345, 343, 342, 346, 344
सीधी	गोपदबनास	सुकवारी उत्तर	2, 7, 3, 11/1, 11/2, 10, 1, 46, 45/1, 45/2, 44, 43, 41/2, 23, 22, 20, 21,	2, 7, 3, 11/1, 11/2, 10, 1, 46, 45/1, 45/2, 44, 43, 41/2, 23, 22, 20, 21, 24, 42, 47/1,
सीधी	गोपदबनास	छवारी	328, 341, 342, 353, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 411, 412, 413, 450, 451, 452, 455, 457, 458, 460, 461, 478, 477, 479, 480/2, 488, 495, 499, 500, 498, 497, 501, 537, 539, 540, 541, 542, 544/1, 544/2, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 239, 229, 241, 242, 243, 257, 258, 260, 326, 325, 299, 300, 323, 322, 321, 319, 318, 276, 199, 190, 189, 191, 192, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 115, 116, 117, 112/3, 111/2, 122/2, 122/1, 125, 126, 129, 130, 131, 133/1, 133/2, 178	565, 564, 566, 563, 562, 561, 559, 562, 560, 558, 557, 556/2, 544/2, 557, 544/1, 544/2, 542, 543, 541, 540, 539, 537, 501, 502, 498, 499, 497, 496, 495, 494, 488, 480/1, 480/2, 479, 481, 477, 478, 461, 462, 460, 463, 464, 458, 459, 457, 456, 455, 453, 449, 451, 452, 450, 414, 411, 413, 450, 354, 351, 349, 348, 346, 347, 345, 344, 342, 339, 340, 329, 328, 174, 177, 133/1, 178, 132/2, 131, 132, 129, 130, 127, 126, 125, 1/2, 123, 124, 121, 125, 122/1, 122/2, 122/3, 117, 119, 118, 114, 116, 115, 180, 181, 181, 94, 182, 183, 184, 185, 187, 194, 193, 195, 191, 192, 189, 199, 276, 277, 278, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 313, 304, 303, 300, 301, 292, 297, 298, 299, 324, 396, 265, 264, 263, 261, 325, 262, 259, 257, 258, 260, 243, 242, 240, 241, 239, 238, 237, 245, 244

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
सीधी	गोपदबनास	करवाही	480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 559, 558, 566, 567, 561, 562, 576, 580, 577, 578, 583, 584, 585, 586, 587, 591, 588, 589, 735, 736, 759, 737, 738, 739, 755, 742, 740, 741, 743/2, 743/1, 744, 752, 897, 898, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 915, 911, 912, 914, 913/2, 913/1, 918, 340, 341, 344, 345, 359, 362, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 371/1, 368, 369, 475, 476, 477, 473, 478, 211, 209, 210, 208, 207, 206, 199, 200, 198, 193, 197, 195, 198, 180, 181, 182, 179, 177, 178, 170, 169, 164, 163, 162, 159, 158, 157	157, 158, 159, 162, 163, 164, 169, 170, 160, 161, 165, 168, 173, 172, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 196, 195, 197, 198, 193, 194, 191, 192, 200, 199, 201, 204, 205, 206, 208, 477, 475, 369, 360, 370, 371/2, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 359, 345, 346, 344, 342, 341 , 340, 917, 916, 921, 922, 910, 916, 915, 911, 912, 913/2, 913/1, 914, 929, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 930, 931, 901, 900, 898, 899, 893/2911, 896, 897, 747, 746, 744, 745, 752, 753, 743/2, 742, 740, 741, 739, 755, 738, 757, 736, 758, 759, 735, 590, 589, 588, 587, 591, 593, 592, 586, 585, 584, 583, 579, 580, 578, 577, 576, 575, 563, 562, 561, 560, 567, 558, 559 , 487, 491, 432, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480
सीधी	गोपदबनास	बघवारी	719, 720, 722, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 799/1018, 743, 744, 745, 816, 815, 814, 810, 809, 808, 802, 801, 798, 799, 800, 774, 773, 771, 770, 753, 752, 751, 749, 184, 402, 400, 429, 431, 432, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 444, 465, 464, 466, 485, 486, 484, 483, 487, 481, 489, 490, 491, 479, 492, 493, 496, 494, 495, 497, 498, 478, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 501, 598, 507, 600, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 839, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700, 701, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 717,	719, 720, 722, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 799/1018, 743, 744, 745, 816, 815, 814, 810, 809, 808, 802, 801, 798, 799, 800, 774, 773, 771, 770, 753, 752, 751, 749, 184, 402, 400, 429, 431, 432, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 444, 465, 464, 466, 485, 486, 484, 483, 487, 481, 489, 490, 491, 479, 492, 493, 496, 494, 495, 497, 498, 478, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 501, 598, 507, 600, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 839, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700, 701, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 717, 741, 716, 706, 702, 703, 698, 697, 695, 686, 687, 688, 605, 597/1017, 595, 593, 590, 518, 507, 482, 463, 446, 447, 448, 449, 437, 436, 438, 435, 433, 427, 428, 754, 755, 769, 777, 776, 798, 804, 803, 811, 812, 813, 823, 822, 741, 721,
सीधी	गोपदबनास	छिरोही	393, 420, 418, 416, 329,	393, 420, 418, 416, 329,
सीधी	गोपदबनास	चौफाल पवाई	1427, 1424, 1428, 1430, 1429, 1519, 1520, 1521, 1527, 1533, 1534, 1535, 1536, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1545, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1008, 1009, 992, 991, 990, 989, 988, 987, 1664, 1666, 1665, 1667, 1668, 1663, 1662, 1684,	1717, 1736, 1735, 1734, 1729, 1731, 1732, 1730, 1737, 1691, 1690, 1689, 1688, 1684, 1662, 1663, 1664, 1670, 1668, 1669, 1667, 1665, 1666, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 992, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1545, 1543,

जिला	तहसील	ग्राम	अवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			1688, 1689, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1717, 1737, 1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1568, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1578, 1581, 1582, 1584, 1585, 1589, 1590, 1595, 1592, 1593, 1591, 1599, 1600, 1601, 1601, 1605, 1602, 1604, 1603, 1608, 1609, 1611, 1610, 1615, 1614, 1612, 1613, 1644, 1646, 1645, 1647, 1648, 1649, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1660, 1692, 1691, 1690, 1689, 1799, 1788, 1787, 1785, 1782, 1783, 1780, 1779, 1778, 1768, 1744, 1743, 1745, 1742, 1738, 1739, 1740, 1767.	1542, 1546, 1553, 1552, 1551, 1550, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1528, 1529, 1530, 1531, 1527, 1528, 1521, 1522, 1525, 1524, 1520, 1519, 1430, 1429, 1431, 1428, 1427, 1425, 1424, 1426, 1767, 1751, 1741, 1740, 1739, 1738, 1742, 1746, 1745, 1744, 1743, 1768, 1776, 1777, 1778, 1784, 1783, 1779, 1781, 1780, 1782, 1785, 1786, 1787, 1788, 1799, 1789, 1790, 1791, 1792, 1760, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1651, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1643, 1644, 1612, 1613, 1614, 1617, 1616, 1615, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1605, 1606, 1604, 1602, 1603, 1600, 1601, 1594, 1593, 1592, 1595, 1599, 1596, 1589, 1588, 1586, 1585, 1587, 1584, 1583, 1582, 1581, 1578, 1579, 1577, 1576, 1575, 1582, 1580, 1574, 1573, 1572, 1568, 1567, 1566, 1564, 1563, 1562, 1561
सीधी	गोपदबनास	गाढ़ा खोह	34, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 29,	34, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 29, 1, 2, 4, 22,
सीधी	गोपदबनास	सपनी दुआरी	56, 57, 58, 59, 73, 75, 81, 80, 82, 83, 84, 87, 22, 18, 21/1, 21/2, 88, 29, 119, 90, 160, 91, 93/1, 94, 95, 105, 104, 106, 112/1, 112/4, 112/3, 114, 118, 113, 115, 116, 117, 119.	20, 19, 18, 21/2, 21/1, 22, 86, 87, 88, 84, 80, 83, 82, 81, 76, 75, 74, 73, 61, 58, 62, 60, 58, 59, 48, 57, 56, 89, 118, 119, 117, 115, 114, 112/3, 112/2, 112/4, 107, 113, 106, 112/1, 106, 104, 105, 95, 94, 93/2, 93/1, 92, 91, 160, 90
सीधी	गोपदबनास	बंजारी	305, 308, 309, 322, 321, 325/1083, 325, 324, 327, 326, 328, 329, 332, 330, 331, 332/1084/1, 103, 1031, 332/1084/2, 379/1085, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 414, 417, 416, 415, 418, 419, 420, 422, 421, 467, 714, 718, 715, 716, 717, 721, 725, 726, 728, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 1079, 1087, 762, 754, 755, 758, 761, 685, 1032, 1034, 1035, 1033, 1041, 1042, 1028, 1030, 1099, 1000, 998, 997, 996,	685, 761, 758, 755, 752, 753, 754, 1087, 1079, 739, 741, 742, 753, 745, 743, 740, 738, 739741, 733/1, 733/2, 736, 731, 734, 730, 729, 724, 728, 725, 726, 722, 721, 717, 720, 718, 715, 716, 714, 467, 432, 421, 424, 425, 422, 420, 418, 423, 411, 412, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 398, 403, 402, 401, 399, 400, 397, 383, 396, 384, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 380, 381, 382, 379, 375, 332/1084/2, 379, 1085, 332/1085/1, 331, 332, 330, 335, 329, 328, 336, 326, 327, 325, 324, 1031, 323, 319, 321, 322, 309, 305, 308, 763, 764, 765, 766, 767, 775, 774, 789,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			990, 995, 991, 988, 989, 970, 971, 969, 968, 967, 953, 952, 951, 950, 949, 924, 923, 918, 922, 919, 920, 921, 915, 916, 917, 914, 913, 911, 912, 910, 908, 909, 702, 906, 905, 899, 900, 780, 779, 776, 777, 773, 774, 775, 765, 764, 763,	786, 771, 773, 778, 781, 777, 776, 772, 780, 779, 898, 899, 901, 900, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 902, 911, 913, 914, 908, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 920, 922, 923, 924, 925, 949, 948, 951, 953, 952, 966, 968, 967, 969, 972, 970, 971, 974, 988, 987, 989, 991, 985, 993, 992, 990, 996, 997, 998, 994, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1018, 1002, 1021, 1001, 999, 1000, 1029, 1030, 1028, 1027, 1026, 1042, 1041, 1039, 1037, 1035, 1040, 1034, 1032, 1033,
सीधी	गोपदबनास	चौफाल कोटार	266, 267, 264, 262, 270, 271, 275, 274, 273, 272, 254, 240, 239, 238, 235, 236, 237, 218, 217, 276, 219, 215, 214, 216, 213, 212, 210, 211, 151, 152, 150, 153, 149, 148, 147, 127, 126, 125, 123, 124, 122, 121, 106, 94, 92, 91, 87, 86, 84, 85, 82, 83, 73, 72, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 63, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 42, 44, 277, 278, 379, 378, 377, 383, 380, 382, 381, 276, 385, 386, 387, 399, 400, 402, 401, 427, 428, 430, 429, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 569, 653, 570, 571, 579/2, 580, 581/2, 581/1, 588/1, 587, 582, 583, 620, 642, 643, 644, 645, 648, 651, 650, 652, 690, 689, 688, 687, 658, 686, 659, 658, 657, 656, 655, 654,	44, 45, 46, 42, 47, 48, 54, 53, 52, 49, 51, 50, 63, 65, 64, 69, 67, 66, 70, 68, 76, 75, 74, 73, 71, 72, 83, 82, 85, 80, 84, 78, 79, 88, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 105, 106, 121, 120, 122, 108, 124, 126, 125, 125, 128, 129, 127, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 154, 153, 149, 152, 150, 151, 210, 209, 212, 213, 216, 215, 214, 217, 219, 218, 237, 236, 235, 230, 234, 233, 238, 231, 232, 239, 240, 241, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 264, 275, 265, 263, 266, 267, 654, 655, 656, 659, 657, 658, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 652, 650, 651, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 641, 643, 642, 620, 599, 598, 597, 583, 596, 588/1, 584, 582, 595, 598/1, 587, 586, 581/2, 588/2, 579/1, 579/2, 574, 556, 573, 571, 570, 569, 574, 572, 568, 567, 565, 566, 564, 563, 430, 429, 428, 427, 402, 401, 398, 399, 400, 387, 386, 385, 389, 384, 382, 381, 380, 383, 379, 377, 376, 351, 293, 278, 281, 279, 257, 277, 276,
सीधी	गोपदबनास	खाम	432, 435, 456, 439, 433, 455, 457, 458, 469, 476, 478, 477, 479, 539, 540, 571, 569, 570, 572, 573, 576, 578, 577, 579, 581, 583, 584, 586, 585, 638, 666, 667, 668, 661, 670, 669, 671, 672, 673, 727, 739, 738, 741, 1584, 741, 740, 806, 742, 742, 1585, 806, 807, 811, 810, 812, 813, 831, 830, 834, 832, 833, 863, 862, 871,	866, 865, 867, 864, 871, 863, 862, 835, 834, 832, 830, 835, 828, 829, 815, 813, 831, 814, 812, 811, 804, 810, 807, 806, 742/1585, 742, 741/1584, 741, 740, 739, 738, 676, 663, 727/674, 672/671, 670, 669, 668, 661, 663, 665, 662, 667, 666, 638, 587, 582, 580, 585, 586, 584, 583, 579, 581, 578, 576, 573, 572, 570, 569, 577, 540, 541, 539, 538, 481, 542, 568, 567, 575, 574, 566,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनो ओर)
			867, 864, 866, 865, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 150, 162, 139, 161, 164, 165, 174, 172, 173, 175, 177, 176, 178, 179, 180, 181, 186, 188, 189, 638, 358, 357, 356, 355, 364, 363, 362, 361, 360, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 391, 431, 427, 426, 425, 424, 423	474, 480, 479, 477, 478, 476, 468, 469, 458, 457, 459, 473, 471, 455, 467, 470, 464, 462, 461, 460, 455, 456, 457, 459, 433, 439, 432, 434/2, 424, 423, 422, 425, 429, 430, 428, 431, 391, 384, 383, 382, 381, 374, 380, 379, 378, 377, 376, 360, 365, 361, 362, 363, 364, 366, 355, 356, 357, 358, 638, 189, 188, 187, 186, 184, 185, 181, 180, 178, 179, 177, 176, 175, 173, 170, 171, 167, 166, 165, 164, 159, 163, 158, 162, 161, 160, 151, 149, 150, 147, 148, 166, 145, 137, 144, 139, 143, 142, 141, 140,
सीधी	मझौली	परसली	239, 240, 251, 252, 277, 278, 253, 283, 282, 281, 284, 285, 287, 286, 291, 292, 293, 298, 299, 312, 313, 325, 274, 273, 275, 271, 270, 269, 258, 259, 251, 256, 260, 255, 254,	239, 240, 251, 252, 277, 278, 253, 283, 282, 281, 284, 285, 287, 286, 291, 292, 293, 298, 299, 312, 313, 325, 274, 273, 275, 271, 270, 269, 258, 259, 251, 256, 260, 255, 254, 261, 268, 272, 251, 279, 280, 288, 290, 295, 294, 322, 323, 324, 326,
सीधी	मझौली	तिलवारी	645, 642, 639, 638, 637, 636, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 580/1, 582/2, 581, 580/1296, 579/1295, 578, 577, 577/1292, 576, 574, 573, 572, 571, 566, 570, 569, 568/1297, 567, 568, 560, 559, 553, 554, 555, 556, 558, 458, 459, 450, 451, 448, 440, 439, 438, 437, 436, 435/2, 434, 432, 433, 431, 403, 408, 407, 406/1, 406/2, 405, 404, 406/3, 403, 402, 411, 401, 400, 399, 392, 398, 397, 396, 395, 473, 470/2, 407/1, 471, 472, 470/1, 469/3, 469/2, 469/1, 467, 468/1, 468/2, 474, 462, 463, 460, 461, 464, 482, 492, 505, 493, 504, 494, 495, 496, 498, 499, 527, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 542, 547, 548, 550, 546, 551, 547, 1288, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 898, 897, 898, 896, 886, 887, 881, 882, 885, 880, 704, 703, 702, 701, 692, 961, 690, 683, 682, 687, 685, 681, 680, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672 671, 670, 689, 668, 667, 666, 665, 664, 660, 659, 654, 653, 650, 649, 648, 647	645, 642, 639, 638, 637, 636, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 580/1, 582/2, 581, 580/1296, 579/1295, 578, 577, 577/1292, 576, 574, 573, 572, 571, 566, 570, 569, 568/1297, 567, 568, 560, 559, 553, 554, 555, 556, 558, , 458, 459, 450, 451, 448, 440, 439, 438, 437, 436, 435/2, 434, 432, 433, 431, 403, 408, 407, 406/1, 406/2, 405, 404, 406/3, 403, 402, 411, 401, 400, 399, 392, 398, 397, 396, 395, 473, 470/2, 407/1, 471, 472, 470/1, 469/3, 469/2, 469/1, 467, 468/1, 468/2, 474, 462, 463, 460, 461, 464, 482, 492, 505, 493, 504, 494, 495, 496, 498, 499, 527, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 542, 547, 548, 550, 546, 551, 547, 1288, 906, 531, 543, 527, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 542, 547, 548, 550, 546, 551, 547, 1288, 906, 961, 690, 683, 682, 687, 685, 681, 680, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 689, 668, 667, 666, 665, 664, 660, 659, 654, 653, 650, 649, 648, 647, 647, 647, 390, 412, 410, 430, 435/1, 441, 442, 445, 447, 557, 561, 597, 595, 635, 634, 640, 640, 651, 652, 655, 656, 657, 661, 684, 685, 687,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
				693, 697, 698, 700, 704, 705, 883, 889, 888, 913, 916, 546, 541, 917, 525/2, 526, 525/1, 501, 502, 489, 490, 465, 476, 475, 394, 411, 412, 410, 430, 435/1, 441, 442, 457, 456, 461
सीधी	मझौली	पांड	88, 87, 86, 85, 84, 83, 82/1, 82/2, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70, 69, 68, 788/1, 66, 67, 21, 1791, 1788/2, 1789, 1796, 1792, 1793, 1795, 1795, 1794, 1833, 1773, 1782, 1787, 1786, 629, 627/1, 627/2, 628/2, 626/1, 626/2, 625, 624, 623, 622, 621, 616, 617, 615, 613, 614, 613, 280, 136, 135, 134, 133, 132, 130/2, 130/1, 1129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 127/2, 127/1, 124/2, 124/1, 123, 122/2, 122/1, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 119/1, 113, 112, 111, 110, 90, 92, 9190, 91, 93, 92, 109, 111, 110, 112, 108/1, 13, 119/2, 119/2, 120/1, 118, 117/2, 121/2, 22/1, 123, 125, 124/1, 124/1, 124/1, 29/1, 129/2, 130/1, 131, 130/2, 32, 133, 34, 135, 136, 280, 611, 612, 613, 614, 617, 21, 625, 624, 622, 623, 616, 626/2, 631, 626/1, 629, 627, 628/2, 628/2, 627/1, 1785, 1786, 1787, 1782, 1784, 1773, 1833, 1781, 1796, 1799, 1793, 1792, 1795, 1794, 1971, 1790, 1779, 1788/2, 1788/1, 66, 65, 64, 67, 66, 69, 70, 71, 60/1, 62, 72, 73, 74, 75/1, 57, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/2, 83, 84, 82/1, 85, 86, 87, 88	
सीधी	मझौली	चमराडोल	899/1, 899/2, 900, 901, 902, 904, 907, 906, 908, 909, 910, 918/2, 911, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 947, 948, 949, 946, 951, 950, 956, 957/2, 957/1, 961, 965, 964, 977, 978, 979, 980, 1009, 1008, 100/1, 100/2, 1007, 1011, 1212, 1023, 1024, 1044, 1025/1, 1045, 1046, 1050, 104/1, 104/3, 1053, 1051, 1052, 1054, 1055, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1108, 1109/1, 1109/2, 1112/1, 1107/2, 1110/1, 1110/2, 881, 897, 895, 831, 830, 828/2, 828/1, 827, 826, 310, 825, 309, 824, 829/2, 896, 1113, 1114, 1102, 831, 830, 828/2, 828/1, 827, 1049/3, 1049/3, 1025/1, 1046,	



जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			826. 310. 825. 309	1012/1. 1013, 959, 958, 60, 943, 942, 944, 916, 917, 919, 920, 905, 903
सीधी	मझौली	छूही	1800, 1801, 1799, 1798, 1794, 1793, 1792, 1765, 1790, 1766, 1764, 1763, 1762, 1761, 1697, 1696, 1700, 1760, 1698, 1699, 1703/1, 1704, 1706, 1705, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1716, 1737, 1718, 1633, 1607, 1608, 2946, 1606, 1605, 2945, 2944, 2949, 2942, 2941, 1600/2, 1601, 1604, 1600/1, 1602, 1603, 834, 835, 833, 829, 832, 747, 831, 749, 746, 748, 745, 744, 743, 741, 740, 739, 738, 737, 763/3, 763/1, 683, 684, 685, 682, 681, 680, 679, 678/5, 678/6, 678/3, 678/2, 678/1, 674/1, 675, 677/1, 603, 602, 598, 601, 599, 600, 597, 594, 596/2, 596/1, 595/2, 595/1, 570/1, 570/2, 571, 569, 572, 542, 541, 540, 539, 536, 535, 534, 530, 528, 527/2, 527/1, 529/1, 526, 525, 524, 1016, 523, 1035, 1037, 1038, 1036, 1039, 1044, 1040, 1039, 1045, 1046, 1057, 1058, 1056, 1121, 1118, 1117, 1119, 1120, 1116, 1126, 1125, 1164, 1115, 1114, 1113, 1093, 1078, 1077, 1079, 1076, 1074, 1063, 1064, 1065, 1062, 118, 117, 1060, 1059, 163, 165/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 307, 306, 308, 309, 304, 310, 311, 312, 321, 322, 324/1, 323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658, 1659, 1663, 1662, 1664, 1673, 1674/1, 1674/2, 1675, 1693/1, 1693/2, 1692/1,	1689, 1690/2, 1686, 1688, 1672, 1665, 1661, 1660, 1645/2, 1645/3, 1645/4, 1645/5, 1647/1, 518, 519, 496, 492, 493/2, 487, 491, 493/1, 484, 486, 485, 451, 480, 479, 478, 477, 452/2, 467, 466, 468, 416, 406, 415, 409, 326, 327, 328, 320, 329, 319, 314, 313, 308, 305, 290, 289, 281/2, 281/1, 192, 191, 190, 172, 189, 187, 186, 173, 168, 161, 162, 1065, 1065, 1066, 1067, 1069, 1068, 1070, 1072, 1082, 1083, 1081, 1079, 1112, 1128, 1129, 1123, 1122, 1052, 1054, 1047, 1043, 1040, 1034, 1033, 1032, 1017, 1013, 532, 533, 537, 538, 543, 567, 568, 573, 508, 609, 607, 606/1, 606/2, 605/2, 604/2, 676/1, 676/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 742, 750, 751, 752, 828, 1600/1, 1600/2, 1610, 1732, 1733, 1738, 1739, 1709, 1710, 1708/2, 1702, 1701, 1758, 1759, 1760, 1772, 1771, 1770, 1765, 1768, 1769, 1766, 1749, 1791, 1802, 1934, 1800, 1801, 1799, 1798, 1794, 1793, 1792, 1765, 1790, 1766, 1764, 1763, 1762, 1761, 1697, 1696, 1700, 1760, 1698, 1699, 1703/1, 1704, 1706, 1705, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1716, 1737, 1718, 1718, 1633, 1607, 1608, 2946, 1606, 1605, 2945, 2944, 2949, 2942, 2941, 1600/2, 1601, 1604, 1600/1, 1602, 1603, 834, 835, 833, 829, 832, 747, 831, 749, 746, 748, 745, 744, 743, 741, 740, 739, 738, 737, 763/3, 763/1, 683, 684, 685, 682, 681, 680, 679, 678/5, 678/6, 678/3, 678/2, 678/1, 674/1, 675, 677/1, 603, 602, 598, 601, 599, 600, 597, 594, 596/2, 596/1, 595/2, 595/1, 570/1, 570/2, 571, 569, 572, 542, 541, 540, 539, 536, 535, 534, 530, 528, 527/2, 527/1, 529/1, 526, 525, 524, 1016, 523, 1035, 1037, 1038, 1036, 1039, 1044, 1040, 1039, 1045, 1046, 1057, 1058, 1056, 1121, 1118, 1117, 1119, 1120, 1116, 1126, 1125, 1164, 1115, 1114, 1113, 1093, 1078, 1077, 1079, 1076, 1074, 1063, 1064, 1065, 1062, 118, 117, 1060, 1059, 163, 165/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 307, 306, 308, 309, 304, 310, 311, 312, 321, 322, 324/1, 323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658, 1659, 1663, 1662, 1664, 1673, 1674/1, 1674/2, 1675, 1693/1, 1693/2, 1692/1,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			1692, 1694	323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658, 1659, 1663, 1662, 1664, 1673, 1674/1, 1674/2, 1675, 1693/1, 1693/2, 1692/1, 1692, 1694, 161, 162, 1065, 1065, 1066, 1067, 1069, 1068, 1070, 1072, 1082, 1083, 1081, 1079, 1112, 1128, 1129, 1123, 1122, 1052, 1054, 1047, 1043, 1040, 1034, 1033, 1032, 1017, 1013, 532, 533, 537, 538, 543, 567, 568, 573, 608, 609, 607, 606/1, 606/2, 605/2, 604/2, 676/1, 676/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 742, 750, 751, 752, 828, 1600/1, 1600/2, 1610, 1732, 1733, 1738, 1739, 1709, 1710, 1708/2, 1702, 1701, 1758, 1759, 1760, 1772, 1771, 1770, 1765, 1768, 1769, 1766, 1749, 1791, 1802, 1934
सीधी	मझौली	पोढ़ी	665, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 32, 31, 30, 27, 29, 28, 45, 46, 47, 44, 43, 48, 49, 51, 53, 52, 93, 92, 50, 94, 95, 96, 114, 113, 112, 176, 117, 120, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 124, 127, 128, 129, 130, 251, 252, 250, 253, 254, 255, 256, 259, 257, 258, 303, 304, 305, 306, 314, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 329, 327, 328, 330, 321, 322, 324, 323, 388, 389, 390, 391, 397, 396, 398, 399, 395, 392, 394, 400, 401, 402, 428, 427, 429, 425, 426, 430, 431, 432, 453, 452, 454, 455, 475, 457, 456, 451, 458, 460, 459, 441, 463, 465, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 1179, 1173, 1172, 1174, 474, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1229, 1426, 1427, 1433, 1442/1, 1442/2, 1444, 1445, 1443, 1446, 1447, 1448, 1638, 1637, 1639, 1640, 1641, 1657, 1642, 1650, 1643, 1644, 1797, 1798, 1799, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1831, 1832, 1833, 1830, 1834, 1835, 1836, 1837, 996, 997, 1003, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1147, 1146, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1158, 1160, 1162, 854, 802, 801, 799, 796, 798, 797, 794, 795, 481, 484, 480, 479, 482, 483,	

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			1830, 1834, 1835, 1836, 1837, 996, 997, 1003, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1147, 1146, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1158, 1160, 1162, 854, 802, 801, 799, 796, 798, 797, 794, 795, 481, 484, 480, 479, 482, 483, 486, 485, 487, 488, 478, 496, 497, 477, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 505, 510, 507, 508, 509, 511, 512, 705, 515, 513, 514, 517, 518, 519, 521, 516, 522, 520, 530, 527, 531, 532, 539, 540, 538, 537, 541, 542, 543, 544, 550, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 538, 559, 560, 562, 565, 567, 568, 569, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 590, 582, 589, 593, 592, 592, 591, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 602, 634, 604, 605, 606, 607, 624, 608, 609, 610, 612, 613, 614	486, 485, 487, 488, 478, 496, 497, 477, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 505, 510, 507, 508, 509, 511, 512, 705, 515, 513, 514, 517, 518, 519, 521, 516, 522, 520, 530, 527, 531, 532, 539, 540, 538, 537, 541, 542, 543, 544, 550, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 538, 559, 560, 562, 565, 567, 568, 569, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 590, 582, 589, 593, 592, 592, 591, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 602, 634, 604, 605, 606, 607, 624, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 621, 625, 626, 627, 633, 635, 596, 599, 588, 645, 683, 581, 578, 662, 576, 570, 563, 561, 557, 556, 669, 670, 674, 677, 549, 548, 536, 535, 594, 697, 696, 528, 529, 533, 525, 526, 702, 701, 524, 706, 721, 502, 501, 594, 770, 769, 767, 722, 790, 771, 772, 485, 793, 855, 863, 1155, 1154, 1153, 1137, 1144, 1114, 1113, 1089, 1103, 1101, 1019, 1016, 1015, 1007, 1006, 995, 1838, 1839, 1828, 1811, 1801, 1812, 18113, 1814, 1801, 1796, 1652, 1634, 1441, 1440, 1428, 1425, 1422, 1176, 1175, 1178, 1181, 1192, 1193, 466, 461, 462, 441, 442, 448, 447, 449, 450, 433, 493, 486, 485, 325, 324, 326, 330, 331, 328, 312, 308, 307, 302, 301, 260, 261, 262, 248, 263, 249, 247, 131, 132, 133, 134, 123, 97, 101, 52, 54, 55, 58, 53, 42, 41, 43, 40, 39, 38, 37, 34, 33, 20, 19, 10, 3
सीधी	मझौली	दडौर	25, 27, 26, 70, 71, 72, 87, 86, 88, 89, 91, 87, 86, 88, 89, 91, 92, 263, 264, 264/642, 266, 267, 273, 280, 279, 19, 20, 24, 22, 29, 247, 23/916, 278, 277, 13	280, 279, 273, 267, 266, 268, 261, 264/912, 265, 262, 264, 263, 92, 91, 89, 86, 88, 85, 87, 2472, 73, 71, 70, 69, 25, 32, 27, 26, 18, 19, 20, 13, 24, 22, 23, 23/916, 274, 277, 278, 276, 275
शहडोल	व्यौहारी	मऊ	1304, 1318, 1319, 1317, 1320, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1332/1, 1332/3, 1332/2, 1334, 212, 1352, 1354, 1375, 1376, 1377, 1382, 1381, 1380, 1383, 1384, 1385, 1391, 1390, 1387, 1388, 1389	1390, 1391, 1383, 1385, 1384, 1380, 1382, 1381, 1377, 1378, 1376, 1372, 1375, 1374, 1354, 1383, 1387, 1388, 1389, 1352, 1334, 1332/2, 1332/3, 1332/1, 1330, 1331, 1333, 1329, 1328, 1327, 1325, 1324, 1323, 1320, 1317, 1319, 1318, 1304
शहडोल	व्यौहारी	साखी	54, 1, 55, 56, 2/1, 142/3, 49, 47, 45, 128/4, 157/1, 41, 32, 40, 39, 57, 59, 58, 124/5, 1680, 125/1, 1688, 1724, 140/3, 140/1, 170, 175, 177, 176	176, 178, 177, 175, 174, 170, 146/1, 140/3, 1688, 1724, 125/1, 124/5, 1680, 58, 61, 60, 59, 57, 40, 39, 38, 41, 32, 137/1, 128/4, 45, 47, 49, 142/3, 2/1, 1690, 55, 53, 56, 54, 1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
शहडोल	व्योहारी	मुदरिया	347, 232, 231, 230, 228, 226, 227, 121/2, 221/3, 24/4, 218, 217, 216, 214/3, 214/2, 214/1, 213, 212, 210, 208, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 170/10", 170/14', 170/8, 170/34', 170/4', 170', 169, 168, 167, 657, 662, 658, 655, 654, 653, 651, 650, 647, 646, 645, 644, 648, 643, 641, 640/1, 640/4, 640/2, 640/3, 635, 634, 413, 394, 392, 383, 382/1, 381, 382/2, 379, 358, 380/7, 380/14'10, 357, 358/4, 357, 355, 356, 354, 353, 352, 351, 349, 348;	232, 347, 353, 354, 360/1, 360/2, 360/3, 364, 362, 360/4, 360/5, 361, 359, 357, 356, 355, 358, 358/4, 357, 380/7, 379, 381, 382/2, 382/1, 383, 385, 387, 384, 386, 391, 392, 394, 413, 633, 634, 635, 636, 640/1, 637, 638, 639, 642, 640/3, 640/2, 640/4, 641, 648, 649, 652, 645, 646, 647, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 652, 659, 660, 658, 662, 168, 167, 169, 180, , 170/34'/1, 170/7, 170/8, 170/10' 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 206/4, 206/3, 206/2, 206/1, 205, 204, 207, 208, 209, 210, 210/10', 212, 213, 251, 215, 214/1, 214/2, 214/3, 216, 217, 218, 219/4, 223, 219/1, 226, 221/3, 222, 225, 221/2, 221/1, 226, 227, 151, 228, 230, 229, 23', 232, 347, 334, 348

## II)

## "खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	रीवा-शहडोल मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-09)	165.00	रीवा, सतना, शहडोल, सीधी

## खण्ड-"ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
रीवा	हुजूर	समान	405, 517, 407, 410, 409, 411, 408, 419, 418, 416, 415, 421, 414, 417, 512, 511, 509, 508, 424, 425, 427, 490, 428, 429, 481, 487, 482, 483, 479, 480, 478, 450, 451, 452, 449, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448	625, 630, 489, 419, 507, 513, 460, 454, 455, 456, 457, 458, 431, 430, 428, 426, 422, 406, 404, 401, 402, 403, 399, 405, 517, 407, 410, 409, 411, 408, 419, 418, 416, 415, 421, 414, 417, 512, 511, 509, 508, 424, 425, 427, 490, 428, 429, 481, 487, 482, 483, 479, 480, 478, 450, 451, 452, 449, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
रीवा	हुजूर	रीवा	680, 686, 678, 685, 677, 684, 685, 683, 676, 675, 682, 674, 671, 668, 669, 644, 645, 663, 664, 665, 666, 667, 732, 733, 731, 786, 785, 787, 707, 788, 789, 832, 833, 804, 368, 809, 888, 881, 882, 880, 879, 878, 870, 871, 872,	834, 730, 687, 679, 672, 673, 670, 661, 662, 660, 657, 658, 659, 641, 642, 643, 630, 784, 783, 790, 806, 805, 802, 810, 811, 816, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 873, 874, 875, 865, 1165, 1166, 1164, 1175, 1176, 1179, 1185, 1118, 1117, 1104, 1101, 1095, 1087, 1081, 1082, 1083, 1084, 1051, 1041,

जिला	सहस्रील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			868, 869, 884, 1133, 1134, 1167, 1178, 1179, 1181, 1163, 1119, 1120, 1049, 1048, 1084, 1085, 1086, 1097, 1098, 1099, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116	1162, 1160, 1141, 1142, 1140, 1145, 1130, 1131, 1132, 1133, 886, 889, 368, 680, 686, 678, 685, 677, 684, 685, 683, 676, 675, 682, 674, 671, 668, 669, 644, 645, 663, 664, 665, 666, 667, 732, 733, 731, 786, 785, 787, 707, 788, 789, 832, 833, 804, 368, 809, 888, 881, 882, 880, 879, 878, 870, 871, 872, 868, 869, 884, 1133, 1134, 1167, 1178, 1179, 1181, 1163, 1119, 1120, 1049, 1048, 1084, 1085, 1086, 1097, 1098, 1099, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
रीवा	हुजूर	कुदुलिया	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 100, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157	79, 83, 101, 136, 357, 328, 335, 336, 115, 119, 123, 162, 162, 164, 177, 178, 179, 304, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 100, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 100, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157
रीवा	हुजूर	सिलपरा	7, 8, 9, 10, 11, 13, 122, 124, 125, 126, 120, 117, 114, 240, 241, 388, 386, 387, 367, 364, 366, 351, 352, 361, 385, 392, 1018, 1017, 1015, 1016, 1023, 998, 997, 991, 992, 1056, 1065, 1077, 983, 959, 950, 958, 960, 961, 975, 976, 962, 963, 966, 965, 963/1222, 919, 888, 889, 890, 887,	886, 871, 870, 891, 892, 831, 830, 925, 926, 927, 963/1223, 964, 967, 968, 970, 972, 973, 974, 960, 957, 953, 951, 977, 978, 979, 1080, 1078, 1076, 1066, 982, 984, 985, 987, 990, 991, 1063, 1059, 1057, 1055, 1056, 1026, 1025, 991, 996, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1022, 1021, 1014, 393, 394, 390, 365, 389, 363, 362, 110, 356, 113, 361, 316, 113, 116, 118, 119, 239, 131, 123, 238,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
				18, 17, 16, 12, 129, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 122, 124, 125, 126, 120, 117, 114, 240, 241, 388, 386, 387, 367, 364, 366, 351, 352, 361, 385, 392, 1018, 1017, 1015, 1016, 1023, 998, 997, 991, 992, 1056, 1065, 1077, 983, 959, 950, 958, 960, 961, 975, 976, 962, 963, 966, 965, 963/1222, 919, 888, 889, 890, 887,
रीवा	हुजूर	भटलो	179, 182, 212, 27, 214, 215, 217, 99, 100, 168, 174, 175, 281	178, 280, 176, 275, 173, 169, 274, 273, 168, 167, 271, 256, 101, 254, 98, 251, 250, 218, 69, 64, 63, 215, 216, 62, 28, 29, 14, 13, 183, 179, 182, 212, 27, 214, 215, 217, 99, 100, 168, 174, 175, 281
रीवा	हुजूर	डिहिया	40, 118, 141, 142, 197, 204, 205, 116, 117, 207, 208, 209	210, 211, 112, 115, 207, 206, 203, 108, 107, 186, 106, 102, 101, 100, 44, 140, 139, 138, 135, 134, 39, 38, 122, 6, 5, 121, 3, 119, 40, 118, 141, 142, 197, 204, 205, 116, 117, 207, 208, 209
रीवा	हुजूर	सहिजना	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 55, 66	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 55, 66
		रौरा	142, 143, 140, 139, 141, 164, 159, 163, 160, 161, 162, 168, 776	167, 166, 157, 158, 156, 165, 155, 137, 138, 151, 154, 150, 130, 129, 142, 143, 140, 139, 141, 164, 159, 163, 160, 161, 162, 168, 776
रीवा	हुजूर	अमिलकी	1579, 1580, 1582, 1586, 1609, 1608, 1583, 1572, 1570, 1612, 1564, 1563, 1567, 1558, 1557, 1620, 1550, 1621, 1579, 1576, 1574, 1575, 1543, 1544, 1545, 1706, 1705, 1538, 1537, 1531, 1708, 1709, 1710, 1715, 1530, 1717, 1518, 1722, 1516, 1515, 1514, 1483, 1482, 1741, 1739, 1742, 1481, 1476, 1743, 1746, 1747, 1465, 1748, 1464, 2065, 1863, 2066, 1864, 2069, 1889, 1888, 1890, 1891, 1926, 1927, 1928, 1929, 298, 1975, 1976, 1977, 1980, 2106, 2102, 2101, 1980, 2107, 1982, 2011, 2110, 2109, 2107, 2012, 2013, 2111, 2112, 2014, 2015, 2148, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,	2217, 2213, 2218, 2212, 2204, 2203, 2199, 2200, 2201, 2182, 2181, 2248, 2246, 2247, 2250, 2252, 2249, 2184, 2146, 2174, 2051, 2052, 2142, 2152, 2153, 2053, 2056, 2150, 2151, 2115, 2019, 2016, 2018, 2114, 2113, 2006, 2010, 2108, 2105, 1983, 1982, 1979, 1980, 1977, 2104, 2103, 1978, 2099, 2100, 1974, 1993, 1972, 1971, 2098, 1971, 1930, 2097, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 2078, 2076, 1996, 1895, 1894, 2073, 1893, 1892, 1886, 1887, 2072, 1865, 2070, 1866, 2068, 2067, 1869, 2066, 1750, 1751, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1749, 1467, 1468, 1466, 1745, 1744, 1738, 1477, 1478, 1479, 1480, 1737, 1736, 1740, 1480, 1448, 1485, 1731, 1729, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1721, 1719, 1514, 1512, 1517, 1719, 1520, 1718, 1716, 1713, 1714, 1528, 1529, 1713, 1711, 1532, 1707, 1532, 1539, 1541, 1703, 1705, 1704, 1548, 1551, 1552, 1622, 1621, 1557, 1556, 1558, 1559,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			2063, 2064, 2148, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2175, 2249, 2248, 2222, 2223, 2214, 2215, 2216	1560, 1561, 1562, 1564, 1569, 1617, 1616, 1612, 1571, 1610, 1573, 534, 533, 1607, 1608, 1583, 533, 532, 1581, 1579, 530, 527, 528, 529, 1578, 1577, 1579, 1580, 1582, 1586, 1609, 1608, 1583, 1572, 1570, 1612, 1564, 1563, 1567, 1558, 1557, 1620, 1550, 1621, 1579, 1576, 1574, 1575, 1543, 1544, 1545, 1706, 1705, 1538, 1537, 1531, 1708, 1709, 1710, 1715, 1530, 1717, 1518, 1722, 1516, 1515, 1514, 1483, 1482, 1741, 1739, 1742, 1481, 1476, 1743, 1746, 1747, 1465, 1748, 1464, 2065, 1863, 2066, 1864, 2069, 1889, 1888, 1890, 1891, 1926, 1927, 1928, 1929, 298, 1975, 1976, 1977, 1980, 2106, 2102, 2101, 1980, 2107, 1982, 2011, 2110, 2109, 2107, 2012, 2013, 2111, 2112, 2014, 2015, 2148, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2148, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2175, 2249, 2248, 2222, 2223, 2214, 2215, 2216
सीवा	हुजूर	बासा	60, 437, 62, 429, 77, 79, 105, 106, 424, 395, 393, 384, 383, 381, 370, 369, 368, 362, 344, 345, 361, 360, 358, 357, 348, 353, 355, 354, 1451, 1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1467, 1468, 1469, 1471, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1549, 1558, 1559, 1560, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1656, 1659, 1660, 1723, 1722, 1721, 1725, 1726, 1727, 1729, 1724, 1730, 1731, 1735, 1736, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1880, 1882, 1848, 1836	1835, 1838, 1847, 1849, 1739, 1719, 1720, 1709, 1710, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1658, 1657, 1655, 1561, 1557, 1556, 1550, 1551, 1552, 1547, 1534, 1548, 1530, 1529, 1526, 1474, 140, 1466, 1463, 1462, 1456, 1453, 363, 367, 371, 380, 385, 384, 392, 394, 396, 397, 398, 423, 425, 426, 427, 428, 430, 434, 435, 436, 438, 439, 61, 64, 63, 78, 107, 255, 258, 259, 260, 343, 346, 349, 351, 60, 437, 62, 429, 77, 79, 105, 106, 424, 395, 393, 384, 383, 381, 370, 369, 368, 362, 344, 345, 361, 360, 358, 357, 348, 353, 355, 354, 1451, 1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1467, 1468, 1469, 1471, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1549, 1558, 1559, 1560, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1656, 1659, 1660, 1723, 1722, 1721, 1725, 1726, 1727, 1729, 1724, 1730, 1731, 1735, 1736, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1880, 1882, 1848, 1836
सीवा	हुजूर	गोविन्दगढ	422, 424, 442, 443, 444, 445, 446, 474, 446, 477, 478, 480, 525, 526, 527, 528, 1554, 475, 1596, 1651	1652, 1649, 1648, 1647, 1646, 1598, 1597, 1594, 1593, 1592, 529, 520, 524, 522, 511, 510, 509, 481, 479, 484, 486, 461, 473, 471, 472, 470, 469, 468, 467, 466, 459, 460, 458, 457, 455, 456, 454, 447, 437, 438, 439, 440, 441, 423, 422, 424, 442,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
				443, 444, 445, 446, 474, 446, 477, 478, 480, 525, 526, 527, 528, 1554, 475, 1596, 1651
रीवा	हुजूर	मड़वा	2262, 2261, 2253, 2249, 2248, 2250, 2278, 2277, 2274	2260, 2262, 2261, 2253, 2249, 2248, 2250, 2278, 2277, 2274
सीधी	रामपुर	खरहना	595	594, 595, 592, 587, 586, 585, 561
सीधी	रामपुर	खरियाझार	1/2, 1/1, 2, 18, 19, 3, 17, 20, 21, 25, 22/1, 5, 25, 26, 16, 27, 15, 92, 24, 91, 90, 89, 88, 38, 28, 29, 37, 39, 41, 34, 36, 50, 51, 52, 35, 54, 56	55, 94, 95, 5, 4, 33, 34, 30, 31, 32, 23, 27, 22/1/1
सीधी	रामपुर	मलगाँव	112, 111, 1113, 85, 110, 97, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 86, 87, 88, 1162, 84, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 19, 6, 5, 2, 1	7, 8, 36, 31, 32, 86/2, 86/1, 89, 90, 102/1, 102/2, 102/3, 100, 99, 109, 113, 114, 115, 116, 117
सीधी	रामपुर	खारा	387, 370, 369, 377/1, 377/2, 176/2, 367/2, 368, 119, 367/1, 118, 117, 116, 357, 356, 353, 354, 105, 113, 324, 323, 322, 105, 104, 103, 101, 102, 320, 321, 106, 100, 314, 315, 316, 317, 319, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 313, 222, 221, 225, 92, 93, 91, 90, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 212, 211, 52, 53, 51, 210, 49, 50, 178, 208, 209, 209, 207, 42, 45, 48, 44, 43, 41, 40, 26, 201, 200, 202, 203, 204, 205, 204, 205, 196, 195, 194, 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 179, 3, 15, 1	174, 175/1, 176/1, 176/2, 120, 106, 59, 47, 46, 39, 26, 27, 28, 29, 17, 154, 179, 180, 193, 197, 206, 207, 217, 223, 311, 212, 318, 329, 330, 325, 326, 327, 351, 352, 359, 371
सीधी	रामपुर	मलगाँव	368, 362, 363, 364, 365, 327, 328, 326, 360, 361, 329, 331, 332, 333, 330, 349, 334, 335, 347, 348, 318, 317, 319, 316, 315, 320, 303, 336, 337, 338, 302, 314, 311, 310, 309, 308, 306, 305, 304, 124, 307, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 121, 122, 119, 120, 118, 137, 138, 117,	366, 338, 339, 301, 298, 134, 135, 145/369, 151, 155, 157, 158, 160, 162, 163, 166, 167, 175, 176, 177, 210, 196, 195, 183, 188, 328, 330, 325, 324, 323, 321, 312, 96, 371, 91, 90, 89, 88, 85, 69, 47/1, 46/2, 26, 25, 24, 17, 15, 14,



जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			116, 139, 142, 144, 143, 115, 152, 161, 159, 100, 160, 99, 162, 98, 97, 164, 165, 371, 95, 167, 96, 169, 170, 171, 83, 84, 82, 87, 86, 178, 177, 81, 68, 179, 67, 66, 65, 181, 181, 64, 182, 50, 184, 49, 48, 185, 176, 187, 46/1, 47/1, 47/2/1, 47/2/2, 23, 22, 21, 20, 16, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 1, 2	
सीधी	रामपुर	भैसरहा	1458, 1456, 1459, 1460, 1463, 1464, 1465, 1455, 1470, 1471, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1445, 1497, 1496, 1473, 1472, 1471, 1444, 1443, 1238, 1237, 1236, 1204, 1527, 1528, 1530, 1532, 1534, 1535, 1536, 1203, 1202, 1201, 1198, 1538, 1540, 1537, 1548, 1549, 1546, 1551, 1550, 1553, 1195, 1196, 1197, 1198, 888, 889, 887, 886, 809, 810, 806, 807, 1555, 1554, 1556, 815, 804, 793, 792, 816, 815, 791, 818, 820, 790, 789, 819, 337, 347, 808, 346, 348, 345, 344, 343, 375, 374, 318, 320, 319, 392, 340, 339, 378, 316, 317, 318, 315, 429, 390, 427, 428, 430, 391, 393, 394, 395, 426, 427, 422, 411, 412, 413, 414, 418, 420, 419, 452, 453, 415, 416, 417, 518, 514, 515, 487, 488, 513, 511, 510, 489, 490, 496, 497, 538, 509, 498, 499, 500, 501, 540, 541, 502, 548, 549, 503, 508, 612, 613, 610, 611, 609, 615, 614, 616, 508, 505, 506, 507, 618, 617, 619, 638, 639	1461, 1469, 1493, 1492, 1494, 1495, 1500, 1501, 1499, 1498, 1517, 1518, 1526, 1525, 1523, 1524, 1531, 1529, 1533, 1597, 1596, 1547, 1545, 1552, 1576, 1558, 1557, 805, 803, 804, 800, 793, 795, 795, 794, 792, 796, 355, 356, 373, 372, 396, 410, 409, 517, 516, 512, 531, 538, 509, 537, 536, 546, 547, 545, 544, 543, 542, 550, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 613, 622, 620, 621, 1321, 1454, 1455, 1421, 1446, 1442, 1241, 1239, 1235, 1205, 1206, 1209, 1193, 890, 892, 891, 813, 814, 826, 817, 821, 337, 341, 342, 321, 312, 313, 314, 433, 423, 424, 425, 421, 422, 437, 436, 449, 451, 454, 486, 485, 487, 491, 492, 504
सीधी	रामपुर	अमलई	757, 756, 755, 754, 758, 753, 793, 759, 792, 793, 794, 795, 796, 803, 797, 801, 800, 799, 802, 803,	752, 761, 760, 763, 791, 788, 787, 804, 824, 813, 823, 819, 866, 860, 882, 883, 884, 929, 921, 909, 920, 918, 919, 914, 913, 550, 441, 435,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			798, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 947, 946, 945, 944, 943, 949, 950, 952, 943, 942, 941, 940, 939, 938, 937, 948, 936, 953, 954, 965, 966, 928, 927, 926, 908, 925, 950, 924, 923, 985, 986, 986, 988, 989, 990, 992, 916, 915, 427, 428, 426, 425, 419, 420, 421, 423, 424, 429, 450, 437, 913, 293, 308, 436, 433, 432, 431, 430, 307, 306, 304, 102, 100, 99, 105, 103, 101, 85, 29, 86, 28, 27, 26, 22, 23, 36, 34, 35, 33, 32, 31, 30, 21, 18	25, 21, 20, 19, 799, 798, 1044, 950, 949, 951, 952, 984, 983, 988, 980, 991, 422, 418, 104, 106, 107, 101, 84, 85, 37, 39, 38
शहडोल	शहडोल	व्यौहारी	2438, 2437, 2011, 1727, 2429, 2012, 2009, 2022, 2015, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2007, 2035, 2036, 2054, 2055, 2056, 2060, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2212, 2213, 2214, 2215, 2210, 2211, 267, 263, 315, 231, 266, 412, 446, 179, 129, 113	2439, 2428, 2427, 2010, 2410, 1726, 2375, 2013, 2014, 2016, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2038, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2057, 2076, 2177, 2162, 2227, 2228, 2229, 2218, 2216, 2208, 2207, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2207, 248, 249, 250, 268, 269, 272, 273, 264, 257, 258, 260, 261, 262, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 314, 234, 324, 325, 326, 327, 323, 330, 316, 229, 319, 317, 230, 366, 220, 367, 368, 218, 219, 212, 211, 210, 414, 209, 438, 439, 443, 444, 449, 450, 165, 451, 189, 188, 167, 187, 168, 173, 185, 174, 180, 178, 128, 130, 125, 133, 124, 134, 129, 135, 136, 114
शहडोल	शहडोल	कुआ सराई	296, 299, 323, 324, 325, 330, 349, 449, 450, 451, 452, 469, 470, 471, 604, 602, 593, 660, 582, 581, 576, 573,	306, 305, 300, 302, 301, 268, 326, 327, 328, 329, 347, 350, 445, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 456, 466, 467, 468, 603, 605, 606, 601, 656, 657, 659, 661, 587, 580, 583, 584, 577, 578, 575, 570, 574, 674
शहडोल	शहडोल	माऊ	48, 41, 110, 47, 636, 677,	47, 46, 52/1, 52/2, 52, 45, 43, 53, 54, 40, 55/1, 111, 36, 112, 35, 114, 34, 33, 129, 70, 677, 127, 626, 675, 635, 637, 640, 649, 647, 654, 674, 757, 758,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनो ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनो ओर)
				760, 675
शहडोल	शहडोल	भूरका	123, 124, 138, 141, 108, 107, 96, 97, 98, 90, 63, 61, 283, 284, 288, 279, 280, 63, 69, 60, 62, 295, 294, 299, 300, 307, 306, 459, 458, 455	122, 137, 127, 125, 140, 115, 143, 142, 116, 111, 106, 109, 101, 95, 99, 91, 84, 85, 81, 64, 285, 287, 278, 59, 291, 292, 293, 296, 301, 302, 304, 308, 457, 448, 449
शहडोल	शहडोल	तेदुवा	230, 145, 143,	212, 146
शहडोल	शहडोल	छिरहा	3	4, 26, 27, 28, 29
शहडोल	शहडोल	करकी	1, 2, 3, 4/2, 6/1, 4/1, 7/1, 7/2, 8/2, 12, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 1682, 1612, 1610/1, 1610/2, 1627, 1628/2, 1633, 1639/1, 1636, 1666, 1673, 1674, 1675, 1676, 1670, 1683, 1682/1, 1714, 1713, 1712,	5/1, 6/2, 8/1, 9, 18, 1608, 1607, 1612/2, 1624, 1625, 1626, 1628/1, 1631, 1632, 1634/2, 1635, 1654, 1667, 1668, 1671, 1672, 1672, 1667/2, 1685, 1684/1, 1672, 1710/3, 1710/4, 1682/2, 1715, 1711, 1718/1, 1718/2, 1707,
शहडोल	शहडोल	टेटका	19, 173, 162, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 171, 322, 325, 326, 350, 349, 346, 346/834, 340, 344, 345, 460, 461, 459, 476, 475, 474, 455, 477, 478, 456, 457, 458, 459, 460, 502, 503, 504, 505, 501, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 218, 519, 521, 681, 682, 683, 387, 685, 684, 666, 665, 742, 743,	2, 4, 18, 17, 163, 164, 165, 166, 150, 167, 172, 157, 156, 323, 324, 352, 351, 327, 328, 356, 348, 347, 334, 333, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 367, 473, 479, 480, 483, 452, 482, 500, 467, 520, 222, 680, 667, 695, 696, 693, 663, 741
शहडोल	शहडोल	टिहकी	80, 70, 78, 76, 85/1, 84, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 318, 317, 314, 315, 320, 323, 321, 660, 307, 305, 306, 304, 303, 300, 277, 569/258, 562, 563, 569, 577, 580, 589, 584, 576, 575, 606/6, 607, 608	82, 68/1, 68/2, 67, 61, 81, 79, 87, 85/2, 85/2/क, 85/2ख, 72, 73, 260, 267, 325, 340, 341, 342, 346, 316, 322, 274, 275, 308, 307, 276, 287, 288, 206, 207, 255, 256, 257, 583/683, 657, 565, 566, 578, 600, 601, 602, 603, 604,
शहडोल	शहडोल	घोरसा	143, 129, 126, 123, 116, 117, 118, 326, 325, 183,	128, 130, 1220, 124, 125, 151, 119, 133, 114, 113, 164, 1200, 1202, 1203, 166, 168, 189, 182,
शहडोल	शहडोल	तगवार	17	67, 7, 5
शहडोल	शहडोल	बिजहा टोला	14	3, 6
शहडोल	शहडोल	दिया पिपर	585, 586, 588, 355, 220, 225, 224, 226, 228, 132, 127, 53, 28, 57, 54, 24	432, 575, 587, 360, 358, 356, 221, 263, 222, 227, 711, 133, 128, 130, 131, 43, 36, 58, 61, 27, 28, 26, 36

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
सतना	रामनगर	कुवरी	3, 4, 9, 11, 12, 38, 41, 40, 42, 43, 44, 55, 3, 4, 9, 11, 12, 38, 41, 40, 42, 43, 44, 55, 35, 54, 56, 103, 121, 115, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 107, 166, 168, 167, 172, 173, 106, 105, 104	10, 15, 13, 39, 45, 53, 104, 105, 116, 117, 111, 162, 169, 171,
सतना	रामनगर	बुड़बौर	297, 296, 292, 291, 281, 282, 165, 164, 116, 115, 114, 113, 112, 95, 97, 94, 81, 84, 79, 68, 67, 66, 27, 28, 25, 18, 19, 17, 16, 15, 1, 764, 763, 765, 766, 768, 782, 787, 788, 789, 809	299, 300, 295, 293, 283, 289, 178, 177, 163, 117, 112, 110, 109, 106, 98, 93, 89, 88, 87, 90, 92, 84, 83, 77, 78, 72, 71, 70, 69, 65, 29, 24, 21, 14, 22, 12, 10, 11, 5, 2, 760, 761, 762, 781, 780, 783, 784, 786, 790, 791, 799, 801
सतना	रामनगर	सरीया	44, 43, 39, 37, 42, 26, 29, 28, 27, 25, 9, 7, 1	2, 22, 24, 35, 31, 30, 40, 41, 38, 45
सतना	रामनगर	खेरहनी	127, 120, 117, 114, 110, 103, 102, 100, 101, 99, 81, 66, 67, 65, 63, 62, 61, 60, 24, 23, 22, 14, 13, 10, 9, 293, 294, 314, 315, 316	128, 129, 126, 119, 109, 108, 98, 80, 82, 97, 79, 78, 58, 68, 69, 64, 25, 296, 95, 322
सतना	रामनगर	केथहा	1, 4, 3, 5, 679, 21, 22, 71, 72, 73, 76, 74, 75, 123, 122, 124, 148, 155, 158, 159, 160, 422, 423, 439, 440, 442, 456, 457, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 555, 554, 592, 591, 590, 589, 578, 588, 586, 585, 609, 584/685	584, 600, 587, 450, 558, 438, 437, 434, 161, 146, 124, 77, 23, 20, 6, 2

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक/संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**राजीव शर्मा**, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 20 मार्च 2015

पृ. क्र. एफ-23-1-2015-सा-19.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-1-2015-सा-19, दिनांक 20 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**राजीव शर्मा**, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2015

No. F-23-1/2015/Gen./19..... In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-"A" of the schedule as per specification given below in Part-"B" of the schedule to be the Building line and Control line.

## SCHEDULE

### Part-"A"

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Sidhi --Beohari (SH-55)	71.29	Sidhi -Shahdol

### Part-"B"

#### Details of land in between Building Lines & Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			4	5
Sidhi	Gopadbanas	Jamodi segran	360, 358, 361, 362, 357, 363, 356, 355, 354, 353, 351, 352, 3541, 340, 367, 365	360, 358, 361, 362, 357, 363, 356, 355, 354, 353, 351, 352, 3541, 340, 367, 365, 350, 345, 343, 342, 346, 344
Sidhi	Gopadbanas	Sukwari uttar	2, 7, 3, 11/1, 11/2, 10, 1, 46, 45/1, 45/2, 44, 43, 41/2, 23, 22, 20, 21,	2, 7, 3, 11/1, 11/2, 10, 1, 46, 45/1, 45/2, 44, 43, 41/2, 23, 22, 20, 21, 24, 42, 47/1,
Sidhi	Gopadbanas	Chhawari	328, 341, 342, 353, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 411, 412, 413, 450, 451, 452, 455, 457, 458, 460, 461, 478, 477, 479, 480/2, 488, 495, 499, 500, 498, 497, 501, 537, 539, 540, 541, 542, 544/1, 544/2, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 239, 229, 241, 242, 243, 257, 258, 260, 326, 325, 299, 300, 323, 322, 321, 319, 318, 276, 199, 190, 189, 191, 192, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 115, 116, 117, 112/3, 111/2, 122/2, 122/1,	565, 564, 566, 563, 562, 561, 559, 562, 560, 558, 557, 556/2, 544/2, 557, 544/1, 544/2, 542, 543, 541, 540, 539, 537, 501, 502, 498, 499, 497, 496, 495, 494, 488, 480/1, 480/2, 479, 481, 477, 478, 461, 462, 460, 463, 464, 458, 459, 457, 456, 455, 453, 449, 451, 452, 450, 414, 411, 413, 450, 354, 351, 349, 348, 346, 347, 345, 344, 342, 339, 340, 329, 328, 174, 177, 133/1, 178, 132/2, 131, 132, 129, 130, 127, 126, 125, 1/2, 123, 124, 121, 125, 122/1, 122/2, 122/3, 117, 119, 118, 114, 116, 115, 180, 181, 181,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			125, 126, 129, 130, 131, 133/1, 133/2, 178	94, 182, 183, 184, 185, 187, 194, 193, 195, 191, 192, 189, 199, 276, 277, 278, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 313, 304, 303, 300, 301, 292, 297, 298, 299, 324, 396, 265, 264, 263, 261, 325, 262, 259, 257, 258, 260, 243, 242, 240, 241, 239, 238, 237, 245, 244
Sidhi	Gopadbanas	Karwahi	480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 559, 558, 566, 567, 561, 562, 576, 580, 577, 578, 583, 584, 585, 586, 587, 591, 588, 589, 735, 736, 759, 737, 738, 739, 755, 742, 740, 741, 743/2, 743/1, 744, 752, 897, 898, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 915, 911, 912, 914, 913/2, 913/1, 918, 340, 341, 344, 345, 359, 362, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 371/1, 368, 369, 475, 476, 477, 473, 478, 211, 209, 210, 208, 207, 206, 199, 200, 198, 193, 197, 195, 198, 180, 181, 182, 179, 177, 178, 170, 169, 164, 163, 162, 159, 158, 157	157, 158, 159, 162, 163, 164, 169, 170, 160, 161, 165, 168, 173, 172, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 196, 195, 197, 198, 193, 194, 191, 192, 200, 199, 201, 204, 205, 206, 208, 477, 475, 369, 360, 370, 371/2, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 359, 345, 346, 344, 342, 341, 340, 917, 916, 921, 922, 910, 916, 915, 911, 912, 913/2, 913/1, 914, 929, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 930, 931, 901, 900, 898, 899, 893/2911, 896, 897, 747, 746, 744, 745, 752, 753, 743/2, 742, 740, 741, 739, 755, 738, 757, 736, 758, 759, 735, 590, 589, 588, 587, 591, 593, 592, 586, 585, 584, 583, 579, 580, 578, 577, 576, 575, 563, 562, 561, 560, 567, 558, 559, 487, 491, 432, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480
Sidhi	Gopadbanas	Baghwari	719, 720, 722, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 799/1018, 743, 744, 745, 816, 815, 814, 810, 809, 808, 802, 801, 798, 799, 800, 774, 773, 771, 770, 753, 752, 751, 749, 184, 402, 400, 429, 431, 432, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 444, 465, 464, 466, 485, 486, 484, 483, 487, 481, 489, 490, 491, 479, 492, 493, 496, 494, 495, 497, 498, 478, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 501, 598, 507, 600, 599, 601, 602, 598, 507, 600, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 839, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700, 701, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 717,	719, 720, 722, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 799/1018, 743, 744, 745, 816, 815, 814, 810, 809, 808, 802, 801, 798, 799, 800, 774, 773, 771, 770, 753, 752, 751, 749, 184, 402, 400, 429, 431, 432, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 444, 465, 464, 466, 485, 486, 484, 483, 487, 481, 489, 490, 491, 479, 492, 493, 496, 494, 495, 497, 498, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 501, 598, 507, 600, 599, 601, 602, 603, 604, 606, 839, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700, 701, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 518, 507, 482, 463, 446, 447, 448, 449, 437, 436, 438, 435, 433, 427, 428, 754, 755, 769, 777, 776, 798, 804, 803, 811, 812, 813, 823, 822, 741, 721,
Sidhi	Gopadbanas	Chhirohi	393, 420, 418, 416, 329,	393, 420, 418, 416, 329,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
Sidhi	Gopadbanas	Chouphal pawai	1427, 1424, 1428, 1430, 1429, 1519, 1520, 1521, 1527, 1533, 1534, 1535, 1536, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1545, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1008, 1009, 992, 991, 990, 989, 988, 987, 1664, 1666, 1665, 1667, 1668, 1663, 1662, 1684, 1688, 1689, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1717, 1737, 1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1568, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1578, 1581, 1582, 1584, 1585, 1589, 1590, 1595, 1592, 1593, 1591, 1599, 1600, 1601, 1601, 1605, 1602, 1604, 1603, 1608, 1609, 1611, 1610, 1615, 1614, 1612, 1613, 1644, 1646, 1645, 1647, 1648, 1649, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1660, 1692, 1691, 1690, 1689, 1799, 1788, 1787, 1785, 1782, 1783, 1780, 1779, 1778, 1768, 1744, 1743, 1745, 1742, 1738, 1739, 1740, 1767,	1717, 1736, 1735, 1734, 1729, 1731, 1732, 1730, 1737, 1691, 1690, 1689, 1688, 1684, 1662, 1663, 1664, 1670, 1668, 1669, 1667, 1665, 1666, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 992, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1545, 1543, 1542, 1546, 1553, 1552, 1551, 1550, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1528, 1529, 1530, 1531, 1527, 1528, 1521, 1522, 1525, 1524, 1520, 1519, 1430, 1429, 1431, 1428, 1427, 1425, 1424, 1426, 1767, 1751, 1741, 1740, 1739, 1738, 1742, 1746, 1745, 1744, 1743, 1768, 1776, 1777, 1778, 1784, 1783, 1779, 1781, 1780, 1782, 1785, 1786, 1787, 1788, 1799, 1789, 1790, 1791, 1792, 1760, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1651, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1643, 1644, 1612, 1613, 1614, 1617, 1616, 1615, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1605, 1606, 1604, 1602, 1603, 1600, 1601, 1594, 1593, 1592, 1595, 1599, 1596, 1589, 1588, 1586, 1585, 1587, 1584, 1583, 1582, 1581, 1578, 1579, 1577, 1576, 1575, 1582, 1580, 1574, 1573, 1572, 1568, 1567, 1566, 1564, 1563, 1562, 1561
Sidhi	Gopadbanas	Gadha Khoh	34, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 29,	34, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 29, 1, 2, 4, 22,
Sidhi	Gopadbanas	Sapani Duari	56, 57, 58, 59, 73, 75, 81, 80, 82, 83, 84, 87, 22, 18, 21/1, 21/2, 88, 29, 119, 90, 160, 91, 93/1, 94, 95, 105, 104, 106, 112/1, 112/4, 112/3, 114, 118, 113, 115, 116, 117, 119,	20, 19, 18, 21/2, 21/1, 22, 86, 87, 88, 84, 80, 83, 82, 81, 76, 75, 74, 73, 61, 58, 62, 60, 58, 59, 48, 57, 56, 89, 118, 119, 117, 115, 114, 112/3, 112/2, 112/4, 107, 113, 106, 112/1, 106, 104, 105, 95, 94, 93/2, 93/1, 92, 91, 160, 90
Sidhi	Gopadbanas	Banjari	305, 308, 309, 322, 321, 325/1083, 325, 324, 327, 326, 328, 329, 332, 330, 331, 332/1084/1, 103, 1031, 332/1084/2, 379/1085, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 414, 417, 416, 415, 418, 419, 420, 422, 421, 467,	685, 761, 758, 755, 752, 753, 754, 1087, 1079, 739, 741, 742, 753, 745, 743, 740, 738, 739741, 733/1, 733/2, 736, 731, 734, 730, 729, 724, 728, 725, 726, 722, 721, 717, 720, 718, 715, 716, 714, 467, 432, 421, 424, 425, 422, 420, 418, 423, 411, 412, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 398, 403, 402, 401, 399, 400,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			714, 718, 715, 716, 717, 721, 725, 726, 728, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 1079, 1087, 762, 754, 755, 758, 761, 685, 1032, 1034, 1035, 1033, 1041, 1042, 1028, 1030, 1099, 1000, 998, 997, 996, 990, 995, 991, 988, 989, 970, 971, 969, 968, 967, 953, 952, 951, 950, 949, 924, 923, 918, 922, 919, 920, 921, 915, 916, 917, 914, 913, 911, 912, 910, 908, 909, 702, 906, 905, 899, 900, 780, 779, 776, 777, 773, 774, 775, 765, 764, 763,	397, 383, 396, 384, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 380, 381, 382, 379, 375, 332/1084/2, 379, 1085, 332/1085/1, 331, 332, 330, 335, 329, 328, 336, 326, 327 325, 324, 1031, 323, 319, 321, 322, 309, 305, 308, 763, 764, 765, 766, 767, 775, 774, 789, 786, 771, 773, 778, 781, 777, 776, 772, 780, 779, 898, 899, 901, 900, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 902, 911, 913, 914, 908, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 920, 922, 923, 924, 925, 949, 948, 951, 953, 952, 966, 968, 967, 969, 972, 970, 971, 974, 988, 987, 989, 991, 985, 993, 992, 990, 996, 997, 998, 994, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1018, 1002, 1021, 1001, 999, 1000, 1029, 1030, 1028, 1027, 1026, 1042, 1041, 1039, 1037, 1035, 1040, 1034, 1032, 1033,
Sidhi	Gopadbanas	Chouphal Kothar	266, 267, 264, 262, 270, 271, 275, 274, 273, 272, 254, 240, 239, 238, 235, 236, 237, 218, 217, 276, 219, 215, 214, 216, 213, 212, 210, 211, 151, 152, 150, 153, 149, 148, 147, 127, 126, 125, 123, 124, 122, 121, 106, 94, 92, 91, 87, 86, 84, 85, 82, 83, 73, 72, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 63, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 42, 44, 277, 278, 379, 378, 377, 383, 380, 382, 381, 276, 385, 386, 387, 399, 400, 402, 401, 427, 428, 430, 429, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 569, 653, 570, 571, 579/2, 580, 581/2, 581/1, 588/1, 587, 582, 583, 620, 642, 643, 644, 645, 648, 651, 650, 652, 690, 689, 688, 687, 658, 686, 659, 658, 657, 656, 655, 654,	44, 45, 46, 42, 47, 48, 54, 53, 52, 49, 51, 50, 63, 65, 64, 69, 67, 66, 70, 68, 76, 75, 74, 73, 71, 72, 83, 82, 85, 80 84, 78, 79, 88, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 105, 106, 121, 120, 122, 108, 124, 126, 125, 125, 128, 129, 127, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 154, 153, 149, 152, 150, 151, 210, 209, 212, 213, 216, 215, 214, 217, 219, 218, 237, 236, 235, 230, 234, 233, 238, 231, 232, 239, 240, 241, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 264, 275, 265, 263, 266, 267, 654, 655, 656, 659, 657, 658, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 652, 650, 651, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 641, 643, 642, 620, 599, 598, 597, 583, 596, 588/1, 584, 582, 595, 598/1, 587, 586, 581/2, 588/2, 579/1, 579/2, 574, 556, 573, 571, 570, 569, 574, 572, 568, 567, 565, 566, 564, 563, 430, 429, 428, 427, 402, 401, 398, 399, 400, 387, 386, 385, 389, 384, 382, 381, 380, 383, 379, 377, 376, 351, 293, 278, 281, 279, 257, 277, 276,
Sidhi	Gopadbanas	Kham	432, 435, 456, 439, 433, 455, 457, 458, 469, 476, 478, 477, 479, 539, 540, 571, 569, 570,	866, 865, 867, 864, 871, 863, 862, 835, 834, 832, 830, 835, 828, 829, 815, 813, 831, 814, 812, 811, 804,



District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			572, 573, 576, 578, 577, 579, 581, 583, 584, 586, 585, 638, 666, 667, 668, 661, 670, 669, 671, 672, 673, 727, 739, 738, 741, 1584, 741, 740, 806, 742, 742, 1585, 806, 807, 811, 810, 812, 813, 831, 830, 834, 832, 833, 863, 862, 871, 867, 864, 866, 865, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 150, 162, 139, 161, 164, 165, 174, 172, 173, 175, 177, 176, 178, 179, 180, 181, 186, 188, 189, 638, 358, 357, 356, 355, 364, 363, 362, 361, 360, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 391, 431, 427, 426, 425, 424, 423	810, 807, 806, 742/1585, 742, 741/1584, 741, 740, 739, 738, 676, 663, 727/674, 672/671, 670, 669, 668, 661, 663, 665, 662, 667, 666, 638, 587, 582, 580, 585, 586, 584, 583, 579, 581, 578, 576, 573, 572, 570, 569, 577, 540, 541, 539, 538, 481, 542, 568, 567, 575, 574, 566, 474, 480, 479, 477, 478 476, 468, 469, 458, 457, 459, 473, 471, 455, 467, 470, 464, 462, 461, 460, 455, 456, 457, 459, 433, 439, 432, 434/2, 424, 423, 422, 425, 429, 430, 428, 431, 391, 384, 383, 382, 381, 374, 380, 379, 378, 377, 376, 360, 365, 361, 362, 363, 364, 366, 355, 356, 357, 358, 638, 189, 188, 187, 186, 184, 185, 181, 180, 178, 179, 177, 176, 175, 173, 170, 171, 167, 166, 165, 164, 159, 163, 158, 162, 161, 160, 151, 149, 150, 147, 148, 166, 145, 137, 144, 139, 143, 142, 141, 140,
Sidhi	Majholi	Parsali	239, 240, 251, 252, 277, 278, 253, 283, 282, 281, 284, 285, 287, 286, 291, 292, 293, 298, 299, 312, 313, 325, 274, 273, 275, 271, 270, 269, 258, 259, 251, 256, 260, 255, 254,	239, 240, 251, 252, 277, 278, 253, 283, 282, 281, 284, 285, 287, 286, 291, 292, 293, 298, 299, 312, 313, 325, 274, 273, 275, 271, 270, 269, 258, 259, 251, 256, 260, 255, 254, 261, 268, 272, 251, 279, 280, 288, 290, 295, 294, 322, 323, 324, 326,
Sidhi	Majholi	Tilwari	645, 642, 639, 638, 637, 636, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 580/1, 582/2, 581, 580/1296, 579/1295, 578, 577, 577/1292, 576, 574, 573, 572, 571, 566, 570, 569, 568/1297, 567, 568, 560, 559, 553, 554, 555, 556, 558, 458, 459, 450, 451, 448, 440, 439, 438, 437, 436, 435/2, 434, 432, 433, 431, 403, 408, 407, 406/1, 406/2, 405, 404, 406/3, 403, 402, 411, 401, 400, 399, 392, 398, 397, 396, 395, 473, 470/2, 407/1, 471, 472, 470/1, 469/3, 469/2, 469/1, 467, 468/1, 468/2, 474, 462, 463, 460, 461, 464, 482, 492, 505, 493, 504, 494, 495, 496, 498, 499, 527, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 542, 547, 548, 550, 546, 551, 547, 1288, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 898, 897, 898, 896, 886, 887, 881, 882, 885, 880, 704, 703, 702, 701, 692, 897, 898, 896, 886, 887, 881,	645, 642, 639, 638, 637, 636, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 585, 584, 583, 580/1, 582/2, 581, 580/1296, 579/1295, 578, 577, 577/1292, 576, 574, 573, 572, 571, 566, 570, 569, 568/1297, 567, 568, 560, 559, 553, 554, 555, 556, 558, 458, 459, 450, 451, 448, 439, 438, 437, 436, 435/2, 434, 432, 433, 431, 403, 408, 407, 406/1, 406/2, 405, 404, 406/3, 403, 402, 411, 401, 400, 399, 392, 398, 397, 396, 395, 471, 472, 470/1, 469/3, 469/2, 469/1, 467, 468/1, 468/2, 474, 462, 463, 460, 461, 464, 482, 492, 505, 493, 504, 494, 495, 496, 498, 499, 527, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 542, 547, 548, 550, 546, 551, 547, 1288, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 898, 897, 898, 896, 886, 887, 881, 882, 885, 880, 704, 703, 702, 701, 692, 961, 690, 683, 682, 687, 685,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			882, 885, 880, 704, 703, 702, 701, 692, 961, 690, 683, 682, 687, 685, 681, 680, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672 671, 670, 689, 668, 667, 666, 665, 664, 660, 659, 654, 653, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1	681, 680, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672 671, 670, 689, 668, 667, 666, 665, 664, 660, 659, 654, 653, 650, 649, 648, 647, 394, 389, 390, 412, 410, 430, 435/1, 441, 442, 445, 447, 557, 561, 597, 595, 635, 634, 640, 640, 651, 652, 655, 656, 657, 661, 684, 685, 687, 693, 697, 698, 700, 704, 705, 883, 889, 888, 913, 916, 546, 541, 917, 525/2, 526, 525/1, 501, 502, 489, 490, 465, 476, 475, 394, 411, 412, 410, 430, 435/1, 441, 442, 457, 456, 461
Sidhi	Majholi	Pand	88, 87, 86, 85, 84, 83, 82/1, 82/2, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70, 69, 68, 788/1, 66, 67, 21, 1791, 1788/2, 1789, 1796, 1792, 1793, 1795, 1795, 1794, 1833, 1773, 1782, 1787, 1786, 629, 627/1, 627/2, 628/2, 626/1, 626/2, 625, 624, 623, 622, 621, 616, 617, 615, 613, 614, 613, 280, 136, 135, 134, 133, 132, 130/2, 130/1, 1129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 127/2, 127/1, 124/2, 124/1, 123, 122/2, 122/1, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 119/1, 113, 112, 111, 110, 90, 92, 91	88, 87, 86, 85, 84, 83, 82/1, 82/2, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 72, 70, 69, 68, 788/1, 66, 67, 21, 1791, 1788/2, 1789, 1796, 1792, 1793, 1795, 1795, 1794, 1833, 1773, 1782, 1787, 1786, 629, 627/1, 627/2, 628/2, 626/1, 626/2, 625, 624, 623, 622, 621, 616, 617, 615, 613, 614, 613, 280, 136, 135, 134, 133, 132, 130/2, 130/1, 1129/2, 129/1, 128/2, 128/1, 127/2, 127/1, 124/2, 124/1, 123, 122/2, 122/1, 121/2, 121/1, 120/2, 120/1, 119/1, 113, 112, 111, 110, 90, 92, 9190, 91, 93, 92, 109, 111, 110, 112, 108/1, 13, 119/2, 119/2, 120/1, 118, 117/2, 121/2, 22/1, 123, 125, 124/1, 124/1, 124/1, 29/1, 129/2, 130/1, 131, 130/2, 32, 133, 34, 135, 136, 280, 611, 612, 613, 614, 617, 21, 625, 624, 622, 623, 616, 626/2, 631, 626/1, 629, 627, 628/2, 628/2, 627/1, 1785, 1786, 1787, 1782, 1784, 1773, 1833, 1781, 1796, 1799, 1793, 1792, 1795, 1794, 1971, 1790, 1779, 1788/2, 1788/1, 66, 65, 64, 67, 66, 69, 70, 71, 60/1, 62, 72, 73, 74, 75/1, 57, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/2, 83, 84, 82/1, 85, 86, 87, 88
Sidhi	Majholi	Chamradol	899/1, 899/2, 900, 901, 902, 904, 907, 906, 908, 909, 910, 918/2, 911, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 947, 948, 949, 946, 951, 950, 956, 957/2, 957/1, 961, 965, 964, 977, 978, 979, 980, 1009, 1008, 100/1, 100/2, 1007, 1011, 1212, 1023, 1024, 1044,	899/1, 899/2, 900, 901, 902, 904, 907, 906, 908, 909, 910, 918/2, 911, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 947, 948, 949, 946, 951, 950, 956, 957/2, 957/1, 961, 965, 964, 977, 978, 979, 980, 1009, 1008, 100/1, 100/2, 1007, 1011, 1212, 1023, 1024, 1044, 1025/1, 1045, 1046,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			1025/1, 1045, 1046, 1050, 104/1, 104/3, 1053, 1051, 1052, 1054, 1055, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1108, 1109/1, 1109/2, 1112/1, 1107/2, 1110/1, 1110/2, 881, 897, 895, 831, 830, 828/2, 828/1, 827, 826, 310, 825, 309	1050, 104/1, 104/3, 1053, 1051, 1052, 1054, 1055, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1108, 1109/1, 1109/2, 1112/1, 1107/2, 1110/1, 1110/2, 881, 897, 895, 831, 830, 828/2, 828/1, 827, 826, 310, 825, 309, 824, 829/2, 896, 1113, 1114, 1102, 1049/3, 1049/3, 1025/1, 1046, 1012/1, 1013, 959, 958, 60, 943, 942, 944, 916, 917, 919, 920, 905, 903
Sidhi	Majholi	Chhuhi	1800, 1801, 1799, 1798, 1794, 1793, 1792, 1765, 1790, 1766, 1764, 1763, 1762, 1761, 1697, 1696, 1700, 1760, 1698, 1699, 1703/1, 1704, 1706, 1705, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1716, 1737, 1718, 1633, 1607, 1608, 2946, 1606, 1605, 2945, 2944, 2949, 2942, 2941, 1600/2, 1601, 1604, 1600/1, 1602, 1603, 834, 835, 833, 829, 832, 747, 831, 749, 746, 748, 745, 744, 743, 741, 740, 739, 738, 737, 763/3, 763/1, 683, 684, 685, 682, 681, 680, 679, 678/5, 678/6, 678/3, 678/2, 678/1, 674/1, 675, 677/1, 603, 602, 598, 601, 599, 600, 597, 594, 596/2, 596/1, 595/2, 595/1, 570/1, 570/2, 571, 569, 572, 542, 541, 540, 539, 536, 535, 534, 530, 528, 527/2, 527/1, 529/1, 526, 525, 524, 1016, 523, 1035, 1037, 1038, 1036, 1039, 1044, 1040, 1039, 1045, 1046, 1057, 1058, 1056, 1121, 1118, 1117, 1119, 1120, 1116, 1126, 1125, 1164, 1115, 1114, 1113, 1093, 1078, 1077, 1079, 1076, 1074, 1063, 1064, 1065, 1062, 118, 117, 1060, 1059, 163, 165/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 307, 306, 308, 309, 304, 310, 311, 312, 321, 322, 324/1, 323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658,	1689, 1690/2, 1686, 1688, 1672, 1665, 1661, 1660, 1645/2, 1645/3, 1645/4, 1645/5, 1647/1, 518, 519, 496, 492, 493/2, 487, 491, 493/1, 484, 486, 485, 451, 480, 479, 478, 477, 452/2, 467, 466, 468, 416, 406, 415, 409, 326, 327, 328, 320, 329, 319, 314, 313, 308, 305, 290, 289, 281/2, 281/1, 192, 191, 190, 172, 189, 187, 186, 173, 168, 161, 162, 1065, 1065, 1066, 1067, 1069, 1068, 1070, 1072, 1082, 1083, 1081, 1079, 1112, 1128, 1129, 1123, 1122, 1052, 1054, 1047, 1043, 1040, 1034, 1033, 1032, 1017, 1013, 532, 533, 537, 538, 543, 567, 568, 573, 608, 609, 607, 606/1, 606/2, 605/2, 604/2, 676/1, 676/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 742, 750, 751, 752, 828, 1600/1, 1600/2, 1610, 1732, 1733, 1738, 1739, 1709, 1710, 1708/2, 1702, 1701, 1758, 1759, 1760, 1772, 1771, 1770, 1765, 1768, 1769, 1766, 1749, 1791, 1802, 1934, 1800, 1801, 1799, 1798, 1794, 1793, 1792, 1765, 1790, 1766, 1764, 1763, 1762, 1761, 1697, 1696, 1700, 1760, 1698, 1699, 1703/1, 1704, 1706, 1705, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1716, 1737, 1718, 1718, 1633, 1607, 1608, 2946, 1606, 1605, 2945, 2944, 2949, 2942, 2941, 1600/2, 1601, 1604, 1600/1, 1602, 1603, 834, 835, 833, 829, 832, 747, 831, 749, 746, 748, 745, 744, 743, 741, 740, 739, 738, 737, 763/3, 763/1, 683, 684, 685, 682, 681, 680, 679, 678/5, 678/6, 678/3, 678/2, 678/1, 674/1, 675, 677/1, 603, 602, 598, 601, 599, 600, 597, 594, 596/2, 596/1, 595/2, 595/1, 570/1, 570/2, 571, 569, 572, 542, 541, 540, 539, 536, 535, 534, 530, 528, 527/2, 527/1, 529/1, 526, 525, 524, 1016, 523, 1035, 1037, 1038, 1036, 1039, 1044, 1040, 1039, 1045, 1046, 1057, 1058, 1056, 1121, 1118, 1117, 1119, 1120, 1116, 1126, 1125, 1164, 1115, 1114, 1113, 1093, 1078, 1077, 1079, 1076, 1074, 1063, 1064, 1065, 1062, 118, 117, 1060, 1059, 163, 165/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 307, 306, 308, 309, 304, 310, 311, 312, 321, 322, 324/1, 323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			1659, 1663, 1662, 1664, 1673, 1674/1, 1674/2, 1675, 1693/1, 1693/2, 1692/1, 1692, 1694	1064, 1065, 1062, 118, 117, 1060, 1059, 163, 165/1, 164/1, 164/2, 164/3, 165/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 307, 306, 308, 309, 304, 310, 311, 312, 321, 322, 324/1, 323, 324/2, 325, 326, 410, 411, 412, 413, 414, 470, 469, 471, 472/2, 472/1, 465, 473, 474, 475, 476, 482, 495, 495, 497, 498, 521, 520, 499, 519, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1645/1, 1640, 1641/1, 1641/2, 1642, 1643, 1644, 1658, 1659, 1663, 1662, 1664, 1673, 1674/1, 1674/2, 1675, 1693/1, 1693/2, 1692/1, 1692, 1694, 161, 162, 1065, 1065, 1066, 1067, 1069, 1068, 1070, 1072, 1082, 1083, 1081, 1079, 1112, 1128, 1129, 1123, 1122, 1052, 1054, 1047, 1043, 1040, 1034, 1033, 1032, 1017, 1013, 532, 533, 537, 538, 543, 567, 568, 573, 608, 609, 607, 606/1, 606/2, 605/2, 604/2, 676/1, 676/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 678/4, 686/1, 686/2, 742, 750, 751, 752, 828, 1600/1, 1600/2, 1610, 1732, 1733, 1738, 1739, 1709, 1710, 1708/2, 1702, 1701, 1758, 1759, 1760, 1772, 1771, 1770, 1765, 1768, 1769, 1766, 1749, 1791, 1802, 1934
Sidhi	Majholi	Podhi	665, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 32, 31, 30, 27, 29, 28, 45, 46, 47, 44, 43, 48, 49, 51, 53, 52, 93, 92, 50, 94, 95, 96, 114, 113, 112, 176, 117, 120, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 124, 127, 128, 129, 130, 251, 252, 250, 253, 254, 255, 256, 259, 257, 258, 303, 304, 305, 306, 314, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 329, 327, 328, 330, 321, 322, 324, 323, 388, 389, 390, 391, 397, 396, 398, 399, 395, 392, 394, 400, 401, 402, 428, 427, 429, 425, 426, 430, 431, 432, 453, 452, 454, 455, 475, 457, 456, 451, 458, 460, 459, 441, 463, 465, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 1179, 1173, 1172, 1174, 474, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1229, 1426, 1427, 1433, 1442/1, 1442/2, 1444, 1445, 1443, 1446, 1447, 665, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 32, 31, 30, 27, 29, 28, 45, 46, 47, 44, 43, 48, 49, 51, 53, 52, 93, 92, 50, 94, 95, 96, 114, 113, 112, 176, 117, 120, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 124, 127, 128, 129, 130, 256, 259, 257, 258, 303, 304, 305, 306, 314, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 329, 327, 328, 330, 321, 322, 324, 323, 400, 401, 402, 428, 427, 429, 425, 426, 430, 431, 432, 453, 452, 454, 455, 475, 457, 456, 451, 458, 460, 459, 441, 463, 465, 464, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 1179, 1173, 1172, 1174, 474, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1229, 1427, 1433, 1442/1, 1442/2, 1444, 1445, 1443, 1446, 1447, 1003, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008,	

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)					
			4					5					
1	2	3											
			1448, 1638, 1637, 1639, 1640, 1641, 1657, 1642, 1650, 1643, 1644, 1797, 1798, 1799, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1831, 1832, 1833, 1830, 1834, 1835, 1836, 1837, 996, 997, 1003, 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1147, 1146, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1158, 1160, 1162, 854, 802, 801, 799, 796, 798, 797, 794, 795, 481, 484, 480, 479, 482, 483, 486, 485, 487, 488, 478, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 505, 510, 507, 508, 509, 511, 512, 705, 515, 513, 514, 517, 518, 519, 521, 516, 522, 520, 530, 527, 531, 532, 539, 540, 538, 537, 541, 542, 543, 544, 550, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 538, 559, 560, 562, 565, 567, 568, 569, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 590, 582, 589, 593, 592, 592, 591, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 602, 634, 604, 605, 606, 607, 624, 608, 609, 610, 612, 613, 614	1009, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1147, 1146, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1158, 1160, 1162, 854, 802, 801, 799, 796, 798, 797, 794, 795, 481, 484, 480, 479, 482, 483, 486, 485, 487, 488, 478, 496, 497, 477, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 505, 510, 507, 508, 509, 511, 512, 705, 515, 513, 514, 517, 518, 519, 521, 516, 522, 520, 530, 527, 531, 532, 539, 540, 532, 539, 540, 538, 537, 541, 542, 543, 544, 546, 551, 552, 553, 554, 543, 544, 550, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 538, 559, 560, 562, 565, 567, 568, 569, 574, 575, 577, 567, 568, 569, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 590, 582, 589, 593, 592, 592, 591, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 603, 602, 634, 604, 605, 606, 607, 624, 608, 609, 610, 612, 613, 614	1009, 1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1147, 1146, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1158, 1160, 1162, 854, 802, 801, 799, 796, 798, 797, 794, 795, 481, 484, 480, 479, 482, 483, 486, 485, 487, 488, 478, 496, 497, 477, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 607, 624, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 621, 625, 626, 627, 633, 635, 596, 599, 588, 645, 683, 581, 578, 662, 576, 570, 563, 561, 557, 556, 669, 670, 674, 677, 549, 548, 536, 535, 594, 697, 696, 528, 529, 533, 525, 526, 702, 701, 524, 706, 721, 502, 501, 594, 770, 769, 767, 722, 790, 771, 772, 485, 793, 855, 863, 1155, 1154, 1153, 1137, 1144, 1114, 1113, 1089, 1103, 1101, 1019, 1016, 1015, 1007, 1006, 995, 1838, 1839, 1828, 1811, 1801, 1812, 18113, 1814, 1801, 1796, 1652, 1634, 1441, 1440, 1428, 1425, 1422, 1176, 1175, 1178, 1181, 1192, 1193, 466, 461, 462, 441, 442, 448, 447, 449, 450, 433, 493, 486, 485, 325, 324, 326, 330, 331, 328, 312, 308, 307, 302, 301, 260, 261, 262, 248, 263, 249, 247, 131, 132, 133, 134, 123, 97, 101, 52, 54, 55, 58, 53, 42, 41, 43, 40, 39, 38, 37, 34, 33, 20, 19, 10, 3								
Sidhi	Majholi	Dadhour	25, 27, 26, 70, 71, 72, 87, 86, 88, 89, 91, 87, 86, 88, 89, 91, 92, 263, 264, 264/642, 266, 267, 273, 280, 279, 19, 20, 24, 22, 29, 247, 23/916, 278, 277, 13	280, 279, 273, 267, 266, 268, 261, 264/912, 265, 262, 264, 263, 92, 91, 89, 86, 88, 85, 87, 2472, 73, 71, 70, 69, 25, 32, 27, 26, 18, 19, 20, 13, 24, 22, 23, 23/916, 274, 277, 278, 276, 275									
Shahdol	Beohari	Mau	1304, 1318, 1319, 1317, 1320, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1332/1, 1332/3, 1332/2, 1334, 212, 1352, 1354, 1375, 1376, 1377, 1382, 1381, 1380, 1383, 1384, 1385, 1391, 1390, 1387, 1388, 1389	1390, 1391, 1383, 1385, 1384, 1380, 1382, 1381, 1377, 1378, 1376, 1372, 1375, 1374, 1354, 1383, 1387, 1388, 1389, 1352, 1334, 1332/2, 1332/3, 1332/1, 1330, 1331, 1333, 1329, 1328, 1327, 1325, 1324, 1323, 1304									
Shahdol	Beohari	Sakhi	54, 1, 55, 56, 2/1, 142/3, 49, 47, 45, 128/4, 157/1, 41, 32, 40,	176, 178, 177, 175, 174, 170, 146/1, 140/3, 1688, 1724, 125/1,									

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			39, 57, 59, 58, 124/5, 1680, 125/1, 1688, 1724, 140/3, 140/1, 170, 175, 177, 176	124/5, 1680, 58, 61, 60, 59, 57, 40, 39, 38, 41, 32, 137/1, 128/4, 45, 47, 49, 142/3, 2/1, 1690, 55, 53, 56, 54, 1
Shahdol	Beohari	Mudariya	347, 232, 231, 230, 228, 226, 227, 121/2, 221/3, 24/4, 218, 217, 216, 214/3, 214/2, 214/1, 213, 212, 210, 208, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 178, 177, 175, 174, 173, 172, 171, 170/10", 170/14", 170/8, 170/34', 170/4', 170', 169, 168, 167, 657, 662, 658, 655, 654, 653, 651, 650, 647, 646, 645, 644, 648, 643, 641, 640/1, 640/4, 640/2, 640/3, 635, 634, 413, 394, 392, 383, 382/1, 381, 382/2, 379, 358, 380/7, 380/14'10, 357, 358/4, 357, 355, 356, 354, 353, 352, 351, 349, 348,	232, 347, 353, 354, 360/1, 360/2, 360/3, 364, 362, 360/4, 360/5, 361, 359, 357, 356, 355, 358, 358/4, 357, 380/7, 379, 381, 382/2, 382/1, 383, 385, 387, 384, 386, 391, 392, 394, 413, 633, 634, 635, 636, 640/1, 637, 638, 639, 642, 640/3, 640/2, 640/4, 641, 648, 649, 652, 645, 646, 647, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 652, 659, 660, 658, 662, 168, 167, 169, 180, 170/34'1, 170/7, 170/8, 170/10' 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 206/4, 206/3, 206/2, 206/1, 205, 204, 207, 208, 209, 210, 210/10', 212, 213, 251, 215, 214/1, 214/2, 214/3, 216, 217, 218, 219/4, 223, 219/1, 226, 221/3, 222, 225, 221/2, 221/1, 226, 227, 151, 228, 230, 229, 23', 232, 347, 334, 348

II)

## Part-"A"

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
1	Rewa-Shahdol (SH-09)	165.00	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol

## Part-"B"

## Details of land in between Building Lines &amp; Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
Rewa	Hujur	Saman	405, 517, 407, 410, 409, 411, 408, 419, 418, 416, 415, 421, 414, 417, 512, 511, 509, 508, 424, 425, 427, 490, 428, 429, 481, 487, 482, 483, 479, 480, 478, 450, 451, 452, 449, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448	625, 630, 489, 419, 507, 513, 460, 454, 455, 456, 457, 458, 431, 430, 428, 426, 422, 406, 404, 401, 402, 403, 399, 405, 517, 407, 410, 409, 411, 408, 419, 418, 416, 415, 421, 414, 417, 512, 511, 509, 508, 424, 425, 427, 490, 428, 429, 481, 487, 482, 483, 479, 480, 478, 450, 451, 452, 449, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Rewa	Hujur	Rewa	680, 686, 678, 685, 677, 684, 685, 683, 676, 675, 682, 674, 671, 668, 669, 644, 645, 663,	834, 730, 687, 679, 672, 673, 670, 661, 662, 660, 657, 658, 659, 641, 642, 643, 630, 784, 783, 790, 806,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			664, 665, 666, 667, 732, 733, 731, 786, 785, 787, 707, 788, 789, 832, 833, 804, 368, 809, 888, 881, 882, 880, 879, 878, 870, 871, 872, 868, 869, 884, 1133, 1134, 1167, 1178, 1179, 1181, 1163, 1119, 1120, 1049, 1048, 1084, 1085, 1086, 1097, 1098, 1099, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116	805, 802, 810, 811, 816, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 873, 874, 875, 865, 1165, 1166, 1164, 1175, 1176, 1179, 1185, 1118, 1117, 1104, 1101, 1095, 1087, 1081, 1082, 1083, 1084, 1051, 1041, 1162, 1160, 1141, 1142, 1140, 1145, 1130, 1131, 1132, 1133, 886, 889, 368, 680, 686, 678, 685, 677, 684, 685, 683, 676, 675, 682, 674, 671, 668, 669, 644, 645, 663, 664, 665, 666, 667, 732, 733, 731, 786, 785, 787, 707, 788, 789, 832, 833, 804, 368, 809, 888, 881, 882, 880, 879, 878, 870, 871, 872, 868, 869, 884, 1133, 1134, 1167, 1178, 1179, 1181, 1163, 1119, 1120, 1049, 1048, 1084, 1085, 1086, 1097, 1098, 1099, 1100, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
Rewa	Hujur	Kuthuliya	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 100, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157	79, 83, 101, 136, 357, 328, 335, 336, 115, 119, 123, 162, 162, 164, 177, 178, 179, 304, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 127, 129, 130, 100, 131, 135, 132, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 333, 332, 331, 327, 326, 325, 324, 356, 354, 355, 155, 156, 154, 153, 152, 157
Rewa	Hujur	Silpara	7, 8, 9, 10, 11, 13, 122, 124, 125, 126, 120, 117, 114, 240, 241, 388, 386, 387, 367, 364,	886, 871, 870, 891, 892, 831, 830, 925, 926, 927, 963/1223, 964, 967, 968, 970, 972, 973, 974, 960, 957,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			366, 351, 352, 361, 385, 392, 1018, 1017, 1015, 1016, 1023, 998, 997, 991, 992, 1056, 1065, 1077, 983, 959, 950, 958, 960, 961, 975, 976, 962, 963, 966, 965, 963/1222, 919, 888, 889, 890, 887,	953, 951, 977, 978, 979, 1080, 1078, 1076, 1066, 982, 984, 985, 987, 990, 991, 1063, 1059, 1057, 1055, 1056, 1026, 1025, 991, 996, 997, 998, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1022, 1021, 1014, 393, 394, 390, 365, 389, 363, 362, 110, 356, 113, 361, 316, 113, 116, 118, 119, 239, 131, 123, 238, 18, 17, 16, 12, 129, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 122, 124, 125, 126, 120, 117, 114, 240, 241, 388, 386, 387, 367, 364, 366, 351, 352, 361, 385, 392, 1018, 1017, 1015, 1016, 1023, 998, 997, 991, 992, 1056, 1065, 1077, 983, 959, 950, 958, 960, 961, 975, 976, 962, 963, 966, 965, 963/1222, 919, 888, 889, 890, 887,
Rewa	Hujur	Bhatlo	179, 182, 212, 27, 214, 215, 217, 99, 100, 168, 174, 175, 281	178, 280, 176, 275, 173, 169, 274, 273, 168, 167, 271, 256, 101, 254, 98, 251, 250, 218, 69, 64, 63, 215, 216, 62, 28, 29, 14, 13, 183, 179, 182, 212, 27, 214, 215, 217, 99, 100, 168, 174, 175, 281
Rewa	Hujur	Dihiya	40, 118, 141, 142, 197, 204, 205, 116, 117, 207, 208, 209	210, 211, 112, 115, 207, 206, 203, 108, 107, 186, 106, 102, 101, 100, 44, 140, 139, 138, 135, 134, 39, 38, 122, 6, 5, 121, 3, 119, 40, 118, 141, 142, 197, 204, 205, 116, 117, 207, 208, 209
Rewa	Hujur	Sahijana	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 55, 66	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 55, 66
Rewa	Hujur	Raura	142, 143, 140, 139, 141, 164, 159, 163, 160, 161, 162, 168, 776	167, 166, 157, 158, 156, 165, 155, 137, 138, 151, 154, 150, 130, 129, 142, 143, 140, 139, 141, 164, 159, 163, 160, 161, 162, 168, 776
Rewa	Hujur	Amilki	1579, 1580, 1582, 1586, 1609, 1608, 1583, 1572, 1570, 1612, 1564, 1563, 1567, 1558, 1557, 1620, 1550, 1621, 1579, 1576, 1574, 1575, 1543, 1544, 1545, 1706, 1705, 1538, 1537, 1531, 1708, 1709, 1710, 1715, 1530, 1717, 1518, 1722, 1516, 1515, 1514, 1483, 1482, 1741, 1739, 1742, 1481, 1476, 1743, 1746, 1747, 1465, 1748, 1464, 2065, 1863, 2066, 1864, 2069, 1889, 1888, 1890, 1891, 1926, 1927, 1928, 1929, 298, 1975, 1976, 1977, 1980, 2106, 2102, 2101, 1980, 2107, 1982, 2011, 2110, 2109, 2107, 2012, 2013, 2111,	2217, 2213, 2218, 2212, 2204, 2203, 2199, 2200, 2201, 2182, 2181, 2248, 2246, 2247, 2250, 2252, 2249, 2184, 2146, 2174, 2051, 2052, 2142, 2152, 2153, 2053, 2056, 2150, 2151, 2115, 2019, 2016, 2018, 2114, 2113, 2006, 2010, 2108, 2105, 1983, 1982, 1979, 1980, 1977, 2104, 2103, 1978, 2099, 2100, 1974, 1993, 1972, 1971, 2098, 1971, 1930, 2097, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 2078, 2076, 1996, 1895, 1894, 2073, 1893, 1892, 1886, 1887, 2072, 1865, 2070, 1866, 2068, 2067, 1869, 2066, 1750, 1751, 1459, 1460, 1461,



District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)																																					
			4					5																																					
1	2	3																																											
			2112, 2056, 2061, 2154, 2159, 2223,	2014, 2057, 2062, 2155, 2175, 2214,	2015, 2058, 2063, 2156, 2249, 2215,	2148, 2059, 2064, 2157, 2248,	2055, 2060, 2148, 2158, 2222,	1462, 1466, 1478, 1740, 1729, 1723,	1463, 1745, 1479, 1480, 1727,	1749, 1744, 1480, 1448, 1726,	1467, 1738, 1737, 1485, 1725,	1468, 1477, 1736, 1731, 1724,	1512,																																
							1517, 1713, 1711, 1541, 1551, 1556, 1562, 1612, 1607, 1579, 1577, 1609, 1612, 1557, 1576, 1545, 1531, 1530, 1515, 1739, 1746, 2065, 1889, 1927, 1977, 1980, 2109, 2112, 2056, 2061, 2154, 2159, 2223,					1721, 1719, 1520, 1718, 1716,	1528, 1529, 1713,	1707, 1532, 1539,	1705, 1704, 1548,	1622, 1621, 1557,	1559, 1560, 1561,	1569, 1617, 1616,	1571, 1610, 1573, 534, 533,	1608, 1583, 533, 532, 1581,	530, 527, 528, 529, 1578,	1579, 1580, 1582, 1586,	1608, 1583, 1572, 1570,	1564, 1563, 1567, 1558,	1620, 1550, 1621, 1579,	1574, 1575, 1543, 1544,	1706, 1705, 1538, 1537,	1708, 1709, 1710, 1715,	1717, 1518, 1722, 1516,	1514, 1483, 1482, 1741,	1742, 1481, 1476, 1743,	1747, 1465, 1748, 1464,	1863, 2066, 1864, 2069,	1888, 1890, 1891, 1926,	1928, 1929, 298, 1975, 1976,	1980, 2106, 2102, 2101,	2107, 1982, 2011, 2110,	2107, 2012, 2013, 2111,	2014, 2015, 2148, 2055,	2057, 2058, 2059, 2060,	2062, 2063, 2064, 2148,	2155, 2156, 2157, 2158,	2175, 2249, 2248, 2222,	2214, 2215, 2216	
Rewa	Hujur	Bansa	60, 106, 381, 345, 353, 1455, 1469, 1532, 1560, 1651, 1723, 1727, 1735, 1743, 1836	437, 424, 370, 361, 355, 1460, 1471, 1533, 1646, 1652, 1722, 1729, 1736, 1744,	62, 395, 369, 360, 354, 1462, 1527, 1549, 1647, 1656, 1721, 1725, 1724, 1730, 1740, 1880,	77, 393, 368, 358, 1451, 1467, 1528, 1558, 1648, 1659, 1725, 1730, 1741, 1882,	79, 384, 362, 357, 1452, 1468, 1531, 1559, 1650, 1660, 1726, 1731, 1742, 1848,	105, 383, 344, 348, 1454, 1468, 1531, 1559, 1650, 1660, 1726, 1731, 1742, 1848,	1835, 1719, 1669, 1657, 1550, 1548, 1466, 367, 396, 428, 61, 259, 437, 424, 369, 368, 362, 344, 348, 357, 348, 1454, 1468, 1531, 1559, 1650, 1660, 428, 61, 259, 437, 424, 369, 368, 362, 344, 348, 357, 348, 1454, 1468, 1531, 1559, 1650, 1660, 428, 61, 259, 437, 424, 369, 368, 362, 344, 345, 361, 360,	1838, 1720, 1668, 1655, 1551, 1530, 1463, 371, 397, 430, 64, 260, 62, 429, 395, 393, 384, 383, 370, 369, 360, 358, 1451, 1462, 1527, 1549, 1647, 1656, 1721, 1725, 1724, 1730, 1740, 1880,	1847, 1709, 1667, 1561, 1552, 1529, 1462, 380, 398, 434, 63, 343, 429, 77, 79, 105, 106, 77, 79, 105, 106,	1849, 1710, 1666, 1557, 1547, 1526, 1456, 384, 423, 425, 426, 427, 435, 436, 438, 439, 107, 255, 258, 349, 351, 60, 77, 79, 105, 106,	1739, 1670, 1658, 1556, 1534, 140, 363, 394, 427, 439, 258, 60, 106, 370, 370, 369, 368, 362, 344, 348, 357, 348, 1454, 1468, 1531, 1559, 1650, 1660, 428, 61, 259, 437, 424, 369, 368, 362, 344, 345, 361, 360,																																

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
				358, 357, 348, 353, 355, 354, 1451, 1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1467, 1468, 1469, 1471, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533, 1549, 1558, 1559, 1560, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1656, 1659, 1660, 1723, 1722, 1721, 1725, 1726, 1727, 1729, 1724, 1730, 1731, 1735, 1736, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1880, 1882, 1848, 1836
Rewa	Hujur	Govindgarh	422, 424, 442, 443, 444, 445, 446, 474, 446, 477, 478, 480, 525, 526, 527, 528, 1554, 475, 1596, 1651	1652, 1649, 1648, 1647, 1646, 1598, 1597, 1594, 1593, 1592, 529, 520, 524, 522, 511, 510, 509, 481, 479, 484, 486, 461, 473, 471, 472, 470, 469, 468, 467, 466, 459, 460, 458, 457, 455, 456, 454, 447, 437, 438, 439, 440, 441, 423, 422, 424, 442, 443, 444, 445, 446, 474, 446, 477, 478, 480, 525, 526, 527, 528, 1554, 475, 1596, 1651
Rewa	Hujur	Madwa	2262, 2261, 2253, 2249, 2248, 2250, 2278, 2277, 2274	2260, 2262, 2261, 2253, 2249, 2248, 2250, 2278, 2277, 2274
Sidhi	Rampur	Kharhana	595	594, 595, 592, 587, 586, 585, 561
Sidhi	Rampur	Khariyajhar	1/2, 1/1, 2, 18, 19, 3, 17, 20, 21, 25, 22/1, 5, 25, 26, 16, 27, 15, 92, 24, 91, 90, 89, 88, 38, 28, 29, 37, 39, 41, 34, 36, 50, 51, 52, 35, 54, 56	55, 94, 95, 5, 4, 33, 34, 30, 31, 32, 23, 27, 22/1/1
Sidhi	Rampur	Malgaon	112, 111, 1113, 85, 110, 97, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 86, 87, 88, 1162, 84, 30, 20, 21, 22, 23, 24, 19, 6, 5, 2, 1	7, 8, 36, 31, 32, 86/2, 86/1, 89, 90, 102/1, 102/2, 102/3, 100, 99, 109, 113, 114, 115, 116, 117
Sidhi	Rampur	Khara	387, 370, 369, 377/1, 377/2, 176/2, 367/2, 368, 119, 367/1, 118, 117, 116, 357, 358, 353, 354, 105, 113, 324, 323, 322, 105, 104, 103, 101, 102, 320, 321, 106, 100, 314, 315, 316, 317, 319, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 313, 222, 221, 225, 92, 93, 91, 90, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 212, 211, 52, 53, 51, 210, 49, 50, 178, 208, 209, 209, 207, 42, 45, 48, 44, 43, 41, 40, 26, 201, 200, 202, 203, 204, 205, 204, 205, 196, 195, 194, 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 179, 3, 15, 1	174, 175/1, 176/1, 176/2, 120, 106, 59, 47, 46, 39, 26, 27, 28, 29, 17, 154, 179, 180, 193, 197, 206, 207, 217, 223, 311, 212, 318, 329, 330, 325, 326, 327, 351, 352, 359, 371

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
1	2	3	4					5				
Sidhi	Rampur	Malgaon	368, 328, 332, 347, 315, 302, 306, 125, 131, 119, 116, 152, 162, 167, 82, 179, 182, 187, 47/2/2, 10,	362, 326, 333, 348, 320, 314, 305, 126, 132, 120, 139, 161, 98, 96, 87, 67, 50, 46/1, 9,	363, 360, 330, 318, 303, 311, 304, 127, 133, 118, 142, 159, 97, 169, 86, 66, 184, 46/1, 8,	364, 361, 349, 317, 336, 310, 124, 128, 136, 117, 144, 100, 164, 170, 178, 49, 48, 47/1, 23,	365, 329, 334, 319, 337, 309, 307, 129, 136, 137, 144, 100, 165, 171, 177, 48, 48, 47/1, 22,	327, 331, 335, 316, 338, 308, 123, 130, 122, 117, 115, 160, 371, 83, 84, 81, 181, 185, 47/2/1, 20, 16,	366, 145/369, 162, 210, 325, 91, 46/2, 338, 151, 163, 196, 324, 90, 26, 339, 155, 166, 195, 323, 89, 25, 301, 157, 167, 183, 321, 88, 24, 298, 157, 175, 188, 312, 85, 17, 134, 158, 176, 328, 96, 69, 14,	135, 160, 177, 330, 371, 47/1, 14, 1492, 1498, 1523, 1597, 1576, 800, 355, 517, 536, 550, 613, 1455, 1239, 890, 821, 314, 437, 487,		
Sidhi	Rampur	Bhaisarha	1458, 1464, 1453, 1448, 1473, 1238, 1528, 1536, 1538, 1546, 1196, 886, 1554, 816, 789, 348, 318, 378, 390, 394, 412, 452, 514, 510, 509, 541, 612, 614, 618,	1456, 1465, 1452, 1447, 1472, 1237, 1530, 1203, 1540, 1551, 1197, 809, 1556, 815, 819, 345, 320, 316, 427, 395, 413, 453, 515, 489, 498, 502, 613, 616,	1459, 1455, 1451, 1445, 1471, 1236, 1532, 1202, 1537, 1550, 1198, 810, 815, 791, 337, 344, 319, 428, 426, 414, 415, 487, 490, 499, 548, 610, 508,	1460, 1470, 1449, 1497, 1444, 1204, 1534, 1201, 1548, 1553, 888, 804, 818, 347, 343, 392, 430, 427, 418, 416, 488, 496, 500, 549, 611, 505,	1463, 1471, 1449, 1496, 1443, 1527, 1535, 1198, 1549, 1195, 887, 792, 790, 346, 374, 339, 429, 393, 422, 419, 518, 511, 538, 540, 508, 615, 507,	1461, 1495, 1517, 1524, 1596, 1558, 793, 356, 516, 546, 608, 622, 1421, 1235, 892, 337, 433, 436, 491, 1469, 1500, 1518, 1531, 1547, 1557, 795, 373, 512, 547, 607, 620, 1446, 1205, 891, 341, 423, 449, 492, 1493, 1501, 1526, 1529, 1545, 805, 396, 531, 545, 606, 621, 1442, 1206, 813, 342, 424, 451, 504, 1492, 1499, 1525, 1533, 1552, 803, 792, 410, 509, 543, 604, 1321, 1241, 1209, 826, 312, 421, 486, 1494, 1498, 1523, 1597, 1576, 800, 355, 517, 536, 550, 613, 1455, 1239, 890, 821, 314, 437, 487,				

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)							
			4					5							
1	2	3	4					5							
Sidhi	Rampur	Amlai	757, 793, 796, 802, 814, 862, 947, 950, 939, 954, 908, 986, 916, 419, 450, 433, 304, 101, 22, 30,	756, 759, 803, 803, 815, 863, 946, 952, 938, 965, 925, 986, 915, 420, 437, 432, 102, 85, 23,	755, 792, 797, 798, 816, 864, 945, 943, 942, 937, 966, 950, 988, 427, 421, 431, 100, 29, 36,	754, 793, 801, 811, 817, 865, 944, 942, 948, 928, 924, 989, 428, 293, 430, 99, 86, 34,	758, 794, 800, 812, 818, 866, 943, 941, 936, 927, 923, 990, 426, 424, 308, 307, 105, 28, 33,	753, 795, 799, 813, 861, 868, 949, 940, 953, 926, 985, 992, 425, 429, 436, 306, 103, 26, 32,	752, 804, 882, 918, 25, 950, 980, 101, 752, 804, 882, 918, 25, 950, 980, 101,	761, 824, 883, 919, 21, 949, 991, 84,	760, 813, 884, 929, 20, 951, 422, 85,	763, 823, 921, 19, 952, 418, 37,	791, 819, 909, 550, 799, 984, 104, 39,	788, 866, 909, 441, 798, 983, 106, 38,	787, 860, 920, 435, 1044, 988, 107,
Shahdol	Shahdol	Beohari	2438, 2012, 2024, 2007, 2056, 2067, 2074, 2168, 2173, 2213, 267, 446,	2437, 2009, 2025, 2035, 2060, 2068, 2164, 2169, 2174, 2214, 263, 179,	2011, 2022, 2026, 2036, 2064, 2071, 2165, 2170, 2175, 2215, 315, 129,	1727, 2015, 2027, 2054, 2065, 2166, 2171, 2176, 2210, 231, 266, 113	2429, 2023, 2028, 2055, 2066, 2073, 2167, 2172, 2212, 2211, 412,	2439, 1726, 2029, 2038, 2062, 2162, 2216, 2244, 248, 273, 262, 280, 326, 319, 368, 414, 449, 167, 180, 124,	2428, 2375, 2030, 2057, 2063, 2227, 2208, 2245, 249, 264, 275, 281, 327, 317, 218, 209, 450, 187, 178, 134,	2427, 2013, 2031, 2058, 2057, 2228, 2207, 2246, 250, 257, 276, 314, 323, 230, 438, 165, 173, 128, 129,	2010, 2014, 2032, 2059, 2076, 2229, 2242, 2247, 268, 258, 277, 278, 324, 316, 220, 212, 443, 451, 173, 130, 135,	2410, 2016, 2034, 2061, 2177, 2218, 2243, 2207, 272, 261, 279, 325, 367, 210, 444, 188, 174, 133, 114			
Shahdol	Shahdol	Kua Sarai	296, 349, 470, 582,	299, 449, 471, 581,	323, 450, 604, 576,	324, 451, 602, 573,	325, 452, 593, 660,	306, 326, 445, 455, 605, 661, 578,	305, 327, 446, 456, 606, 587, 575,	300, 328, 447, 466, 601, 580, 570,	302, 329, 448, 467, 656, 583, 574,	301, 347, 453, 468, 657, 584, 674	268, 350, 454, 603, 659, 577,		
Shahdol	Shahdol	Maau	48, 53, 35, 127, 649,	41, 54, 114, 626, 647,	110, 52/1, 636,	47, 52/2, 636,	677, 52, 45, 43, 112, 677, 640, 758,	47, 53, 35, 127, 649,	46, 54, 114, 626, 647,	52/1, 52/2, 111, 129, 70, 635, 637, 640, 674, 757,	52, 45, 43, 112, 677, 640, 758,	45, 43, 112, 677, 640, 758,			

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
				760, 675
Shahdol	Shahdol	Bhurka	123, 124, 138, 141, 108, 107, 96, 97, 98, 90, 63, 61, 283, 284, 288, 279, 280, 63, 69, 60, 62, 295, 294, 299, 300, 307, 306, 459, 458, 455	122, 137, 127, 125, 140, 115, 143, 142, 116, 111, 106, 109, 101, 95, 99, 91, 84, 85, 81, 64, 285, 287, 278, 59, 291, 292, 293, 296, 301, 302, 304, 308, 457, 448, 449
Shahdol	Shahdol	Tenduwa	230, 145, 143,	212, 146
Shahdol	Shahdol	Chhirha	3	4, 26, 27, 28, 29
Shahdol	Shahdol	Karki	1, 2, 3, 4/2, 6/1, 4/1, 7/1, 7/2, 8/2, 12, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 1682, 1612, 1610/1, 1610/2, 1627, 1628/2, 1633, 1639/1, 1636, 1666, 1673, 1674, 1675, 1676, 1670, 1683, 1682/1, 1714, 1713, 1712,	5/1, 6/2, 8/1, 9, 18, 1608, 1607, 1612/2, 1624, 1625, 1626, 1628/1, 1631, 1632, 1634/2, 1635, 1654, 1667, 1668, 1671, 1672, 1672, 1667/2, 1685, 1684/1, 1672, 1710/3, 1710/4, 1682/2, 1715, 1711, 1718/1, 1718/2, 1707,
Shahdol	Shahdol	Tetka	19, 173, 162, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 171, 322, 325, 326, 350, 349, 346, 346/834, 340, 344, 345, 460, 461, 459, 476, 475, 474, 455, 477, 478, 456, 457, 458, 459, 460, 502, 503, 504, 505, 501, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 218, 519, 521, 681, 682, 683, 387, 685, 684, 666, 665, 742, 743,	2, 4, 18, 17, 163, 164, 165, 166, 150, 167, 172, 157, 156, 323, 324, 352, 351, 327, 328, 356, 348, 347, 334, 333, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 367, 473, 479, 480, 483, 452, 482, 500, 467, 520, 222, 680, 667, 695, 696, 693, 663, 741
Shahdol	Shahdol	Tihki	80, 70, 78, 76, 85/1, 84, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 318, 317, 314, 315, 320, 323, 321, 660, 307, 305, 306, 304, 303, 300, 277, 569/258, 562, 563, 569, 577, 580, 589, 584, 576, 575, 606/6, 607, 608	82, 68/1, 68/2, 67, 61, 81, 79, 87, 85/2, 85/2/क, 85/2ख, 72, 73, 260, 267, 325, 340, 341, 342, 346, 316, 322, 274, 275, 308, 307, 276, 287, 288, 206, 207, 255, 256, 257, 583/683, 657, 565, 566, 578, 600, 601, 602, 603, 604,
Shahdol	Shahdol	Chourasa	143, 129, 126, 123, 116, 117, 118, 326, 325, 183,	128, 130, 1220, 124, 125, 151, 119, 133, 114, 113, 164, 1200, 1202, 1203, 166, 168, 189, 182,
Shahdol	Shahdol	Tagwar	17	67, 7, 5
Shahdol	Shahdol	Bijha Tola	14	3, 6
Shahdol	Shahdol	Diya Pipar	585, 586, 588, 355, 220, 225, 224, 226, 228, 132, 127, 53, 28, 57, 54, 24	432, 575, 587, 360, 358, 356, 221, 263, 222, 227, 711, 133, 128, 130, 131, 43, 36, 58, 61, 27, 28, 26, 36
Satna	Ramnagar	Kubri	3, 4, 9, 11, 12, 38, 41, 40, 42, 43, 44, 55, 3, 4, 9, 11, 12, 38, 41, 40, 42, 43, 44, 55, 35, 54, 56, 103, 121, 115, 114, 113, 112, 110, 109, 108, 107, 166, 168, 167, 172, 173, 106, 105,	10, 15, 13, 39, 45, 53, 104, 105, 116, 117, 111, 162, 169, 171,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
1	2	3	4	5
			104	
Satna	Ramnagar	Budhbaur	297, 296, 292, 291, 281, 282, 165, 164, 116, 115, 114, 113, 112, 95, 97, 94, 81, 84, 79, 68, 67, 66, 27, 28, 25, 18, 19, 17, 16, 15, 1, 764, 763, 765, 766, 768, 782, 787, 788, 789, 809	299, 300, 295, 293, 283, 289, 178, 177, 163, 117, 112, 110, 109, 106, 98, 93, 89, 88, 87, 90, 92, 84, 83, 77, 78, 72, 71, 70, 69, 65, 29, 24, 21, 14, 22, 12, 10, 11, 5, 2, 760, 761, 762, 781, 780, 783, 784, 786, 790, 791, 799, 801
Satna	Ramnagar	Sariya	44, 43, 39, 37, 42, 26, 29, 28, 27, 25, 9, 7, 1	2, 22, 24, 35, 31, 30, 40, 41, 38, 45
Satna	Ramnagar	Kherhani	127, 120, 117, 114, 110, 103, 102, 100, 101, 99, 81, 66, 67, 65, 63, 62, 61, 60, 24, 23, 22, 14, 13, 10, 9, 293, 294, 314, 315, 316	128, 129, 126, 119, 109, 108, 98, 80, 82, 97, 79, 78, 58, 68, 69, 64, 25, 296, 95, 322
Satna	Ramnagar	Kethha	1, 4, 3, 5, 679, 21, 22, 71, 72, 73, 76, 74, 75, 123, 122, 124, 148, 155, 158, 159, 160, 422, 423, 439, 440, 442, 456, 457, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 555, 554, 592, 591, 590, 589, 578, 588, 586, 585, 609, 584/685	584, 600, 587, 450, 558, 438, 437, 434, 161, 146, 124, 77, 23, 20, 6, 2

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhinyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

न्यायालय कलेक्टर, नरसिंहपुर एवं सक्षम प्राधिकारी  
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)  
अधिनियम, 2012 जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

प्रारूप—घ

(नियम 6 देखिए)

नरसिंहपुर, दिनांक 17 मार्च 2015

प्र. क्र. 14-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 14, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25 अप्रैल 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मेहराखेडा, नं.बं. 368, प.ह.नं. 64.	29	0.085
			42	0.065
			38	0.158
		योग.	0.308	

प्र. क्र. 15-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 15, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 2 मई 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	घाटपिपरिया, नं.बं. 135, प.ह.नं. 132/65.	34/2, 34/1, 34/3	0.303
			35/1, 35/2	0.299
			36/1, 36/2, 36/3	0.449
			39/2	0.287
			139/1, 139/2	0.008
			141/1	0.210
			141/2	0.085
			142/1, 142/2	0.340
			143/1, 143/2	0.020
			170	0.065
			171/1, 171/2	0.267
			172/1, 172/2क, 172/2ख	0.032
			176/4	0.130
			176/2	0.082
			229/8	0.113
			235	0.267
			236/1, 236/2, 236/3	0.057
237, 238	0.085			
240/1, 240/2	0.121			
252/3क/2, 252/3क/3	0.514			
252/3क/4, 252/3क/5				
252/3क/6				
योग .				<u>3.734</u>

प्र. क्र. 18-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 18, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।



और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 2 मई 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	बरेली, नं.बं. 299, प.ह.नं. 17.	1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8.	0.494
			2/1	0.166
			3/1, 3/2, 3/3,	0.069
			4/1क, 5/1क, 6/1क	0.800
			4/1ख, 5/1ख, 6/1ख	
			6/2क, 7/1क	
			6/2घ, 7/2, 8/1	
			6/2च, 7/6, 9/1घ	0.125
			6/2झ, 7/7, 9/1क	
			9/2	
			11/1	0.239
			16	0.008
			18/1, 19/1	0.761
			10/1	0.473
12/3	0.032			
योग .				<u>3.167</u>

प्र. क्र. 20-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 20, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25 अप्रैल 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	केकरा, नं.बं. 68, प.ह.नं. 92/17.	25/1, 25/2, 25/3, 25/5	0.364
			26/1, 26/2	0.081
			28	0.194
			30/2	0.255
			30/3	0.012
			31/5, 34/5, 31/6, 34/6	0.146
			31/9, 34/9	
			32/1, 32/2, 32/3	0.405
			74/1, 74/2, 76/2	
			73/1, 73/2	0.340
			75/1, 75/2, 75/3-4	
			76/9, 76/10	0.073
				योग. 1.870

प्र. क्र. 16-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 16, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाइपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 2 मई 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	कजरौटा नं.बं. 38 प.ह.नं. 91/17	5	0.045
			6	0.036
			18/1, 18/2, 18/3,	
			18/4, 18/5	0.107
			19	0.117
			20/2, 20/4, 20/1, 20/3	0.478
			35/1, 36/1, 35/2	
			35/3, 36/2, 35/4, 36/3	0.279

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			37	0.113
			31/1, 31/2, 31/3, 31/4	0.073
			66/1, 66/2, 66/3	0.348
			67	0.109
			69	0.279
			71/2, 72/2, 74/2	0.441
			73/1, 73/2, 73/3, 73/4	0.247
			96/1, 96/2	0.008
				योग . <u>2.680</u>

प्र. क्र. 17-अ-82 वर्ष-13-14.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 17, दिनांक 16 अप्रैल 2014 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाइन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25 अप्रैल 2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकार के लिए भूमि अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	बोहानी नं.बं. 339 प.ह.नं. 16	686/1, 687/1	0.020
			686/2, 687/2	0.089
			688/1	0.154
			688/2	0.130
			691/6	0.506
			692/1	0.040
			711	0.097
			708	0.105
			710	0.251
			714/1, 715/1,	0.263
			714/2, 715/2	
			716	0.397
	योग . <u>2.052</u>			

नरेश पाल, कलेक्टर व सक्षम प्राधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 फरवरी 2015

प्र. क्र. 9-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	जखारा	0.400	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	नारायणपुर	0.250	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सुपावली	0.450	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.
				शीतला माता शाखा नहर की 1एल/4 आर मायनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. नरहरि,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 2 मार्च 2015

क्र. 900-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में ग्राम अचेरी प्रतापगढ़ रोड राजस्थान सीमा पर शिवना नदी पर पुल निर्माण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

### अनुसूची (1)

ग्राम अचेरा-अचेरी		तहसील-मंदसौर		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	ग्राम अचेरा	-	0.400	0.400
2.	ग्राम अचेरी	-	0.130	0.130

### अनुसूची (2)

मंदसौर जिले में ग्राम अचेरी प्रतापगढ़ रोड राजस्थान सीमा पर शिवना नदी पर पुल निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण :—

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रस्तावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित हे.	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नूरमोहम्मद, गफूर सत्तार, शकुर अजीज, हकीम पिता जामा अजमेरी निवासी ग्राम अचेरा.	55/2	0.648	-	0.400	0.400
2.	सजनी बाई पति नाहर खां जाति रावतमीणा निवासी ग्राम अचेरी	200	0.387	-	0.130	0.130

(2) भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजीव सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 मार्च 2015

नस्ती क्र. 08-2015-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	धारकवाडी	0.080	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर.	बी.ओ.टी. एन्युटी योजना अन्तर्गत ग्राम मूंदी-पुनासा से सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट मार्ग निर्माण में आवश्यक निजी भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 303-2015-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-03-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	जलवाबुजुर्ग	0.150	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग-2 इंदौर.	मूंदी-देवला-खुटला-अटूट की निजी कृषि भूमि में (इन्टरमीडिएट लेन) मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 09-2015-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-05-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	केनुद	आबादी भूमि 91.00 वर्ग मीटर पर एक मकान.	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर.	मूंदी-देवला-खुटला-अटूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 10-2015-एलए-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-04-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा-11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खंडवा	पुनासा	देवला रैयत	0.580	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इंदौर.	मूंदी-देवला-खुटला-अटूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 18 मार्च 2015

क्र. 448--एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-1-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर					
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
खंडवा	खालवा	पीपल्याभोजू	163/1	0.15	0.15	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा.	रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
			164/1	1.15	1.15		
			164/3	1.60	0.20		
			164/4	1.30	0.40		
			162	4.79	1.50		
			179	2.80	2.80		
			168	9.00	2.50		
			167/1	0.30	0.30		
			164/6	0.90	0.60		
			167/2	0.70	0.40		
			165	0.20	0.20		
			176	0.31	0.21		
			180/5	1.00	0.50		
			172/2	0.19	0.19		
			174/2	0.21	0.21		
			178/2	0.40	0.40		
			172/3	0.13	0.13		
			178/3	1.02	1.02		
			177	1.00	1.00		
			180/4	0.56	0.20		
			180	1.80	0.80		
			163/2	0.16	0.16		
			164/2	1.04	1.00		
			180/2	1.30	1.30		
			180/3	0.90	0.90		
			68	2.19	0.50		
			170	1.65	0.20		
			171	5.82	5.82		
			172/1	0.60	0.60		
			173	0.30	0.30		
			174/1	0.10	0.10		
			178/1	0.60	0.60		
			66/2	2.55	1.30		
			योग		27.64		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.



क्र. 450-एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-2-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन			अनुसूची		धारा-11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
खंडवा	खालवा	बाराकुण्ड	14	0.25	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक	रोशनी ग्रामीण समूह जल
			15/1	4.00	0.80	स्वास्थ्य यांत्रिकीय	प्रदाय योजना के अन्तर्गत
			16	0.98	0.20	विभाग, खण्ड खण्डवा.	बैराज निर्माण हेतु.
			15/2	1.00	1.00		
			15/3	2.00	2.00		
			15/4	1.00	1.00		
			21	3.36	0.20		
			22	3.54	2.00		
			29	0.83	0.20		
			30/1	0.79	0.05		
			31/1	0.26	0.20		
			31/2	0.98	0.98		
			31/3	0.160	1.00		
			31/4	0.80	0.80		
			31/5	1.30	1.00		
			32/1	1.16	1.16		
			32/2	1.16	1.16		
			32/3	1.18	1.18		
			34/1	0.23	0.15		
			35/1	4.39	3.00		
			34/2	0.18	0.15		
			35/2	0.91	0.91		
			36	1.99	0.80		
			37	1.86	0.30		
			325	1.53	0.10		
			327/2	0.80	0.20		
			327/1	1.60	0.20		
			328	0.40	0.05		
			330	0.96	0.10		
			329	0.96	0.96		
			358	1.77	0.20		
			387	11.06	0.05		
				योग . .	22.15		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 452-एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-3-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाने (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		धारा-11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
खंडवा	खालवा	भोजूढाना	206	0.89	0.60	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा.	रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
			203	1.61	0.03		
			205	0.36	0.08		
			201/4	0.40	0.07		
			199/3	1.00	0.30		
			198	4.09	4.02		
			196/1	1.37	0.04		
			196/2	1.80	0.35		
			193/1	0.59	0.59		
			186/3	1.10	0.85		
			191/1	1.09	0.75		
			186/2	1.10	0.70		
			193/2	0.59	0.50		
			186/1	1.10	0.75		
			193/3	1.70	1.30		
			193/4	1.50	0.75		
			188	0.35	0.05		
			189	6.43	3.00		
			186/4	0.80	0.70		
			185	8.17	0.40		
			128	2.41	0.70		
			129	5.27	0.35		
			133	5.19	0.40		
			121	0.37	0.01		
			125/1	6.10	1.90		
			191/2	1.10	0.65		
			125/2	1.21	0.30		
			योग		<u>19.78</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 454-एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-4-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2)			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
खंडवा	खालवा	खोरदा	131	3.62	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा.	रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 456-एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-6-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2)			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
खंडवा	खालवा	अम्बाड़ा	239	0.08	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा.	रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 458-एलए-2015-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-5-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
खंडवा	खालवा	सालीढाना	82	1.84	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा. रोशनी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 20 मार्च 2015

पत्र क्र. 309-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	सेमरिया	1.640	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 311-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	नौगावां दर्शन सिंह	0.62	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 313-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	रामगढ	0.180	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 315-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	मिर्चवार	0.280	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 317-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	ओबरहा	1.330	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 319-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर

(गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	भमरहा	1.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 321-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	जोगीपुर उत्तर	2.000	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 323-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	जोगीपुर दक्षिण	1.390	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 325-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	देवगढ	0.84	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 327-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	कुकुडीझर	2.340	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोपद बनास के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 11 फरवरी 2015

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) दतिया	(2) दतिया	(3) दीवान की रूद	(4) 1.19	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर.	दतिया जिले के अन्तर्गत दतिया बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) दतिया	(2) दतिया	(3) डगरई	(4) 3.76	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर.	दतिया जिले के अन्तर्गत दतिया बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 19 फरवरी 2015

शुद्धि-पत्र

भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-12-13.—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के धनगांव निमाडखेडी मार्ग के कि. मी. 3/6 में सतसोई नदी पर पुल निर्माण करने हेतु ग्राम धनगांव तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-12-13 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को स्वदेश में, दिनांक 17 मई 2013 को, चौथा संसार में, दिनांक 17 मई 2013 को एवं आम इशतहार दिनांक 27 मई 2013 को हुआ है। उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे। जी नं. 13457/13.

पूर्व प्रकाशन प्रविष्टि

(1)

0.03 हे.

सही संशोधित प्रविष्टि

(2)

0.09 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 0.03 हे. के स्थान पर 0.09 हे. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 17 मार्च 2015

प्र. क्र. 18-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजय रा. गढ़	पड़खुरी	5.87	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1 कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परि. के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब मा. 2 के निर्माण हेतु.
		प.ह.नं. 01, नं. बं. 80.	योग . . 5.87		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजय रा. गढ़	गौरहा प.ह.नं. 07 नं. बं. 454	6.11 योग . . 6.11	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परि. के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की गौरहा मा. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 20-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148.	4.68 योग . . 4.68	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परि. के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 21-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148	3.19 योग . . 3.19	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परि. के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला सब माइ. नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 22-अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

चूंकि, बरगी व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर एवं विजयराघवगढ़ शाखा नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस शाखा नहर की वितरक नहर एवं माइनर तथा सब माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ. 16-15-(1)-2014-सात-शा.-2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148	2.90 योग . . 2.90	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परि. के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला सब माइ. नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 मार्च 2015

नस्ती क्र. 102-2014-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—बिहारीपुरकला  
(घ) अर्जित रकबा—0.88 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
353/1	0.31
353/2	0.57

कुल योग . . . 0.88

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के फिफराड वितरण शाखा की विस्तारीकरण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 103-2014-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-07-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—नवलगांव  
(घ) अर्जित रकबा—0.55 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24/2	0.20
76	0.10
77/1	0.11
77/2	0.14
कुल योग . . . 0.55	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की गुराडिय वितरण शाखा की माईनर क. एम-4 एवं एम-6 की सब-माईनर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 19 फरवरी 2015

नस्ती क्र. -2013-एल.ए.-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—धनगांव		(घ) अर्जित रकबा—0.09 हेक्टेयर.		(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल= 05.181 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.	
खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(1)	(2)		
798	0.06	281/3	0.118	बहेड़ा-3, गधीला-1	
795	0.03	278/9	0.206		
कुल रकबा . . .	0.09	278/4, 278/5	0.094		
		279/1	0.106		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—धनगांव निमाडखेडी मार्ग के कि.मी. 3/6 में सतसोई नदी पर पुल निर्माण करने हेतु.		279/2	0.106		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग निर्माण इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.		281/2	0.020		
		318/2	0.108	चार-1	
		278/3	0.008		
		319/8	0.138	पलाश-1, तीन्सा-2, जमरासी-1, बेर-1	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		283	0.190	बेहडा-1	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		285/2	0.032	बेहडा-1	
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 मार्च 2015		320	0.020	शीशम-1, तीन्सा-1, जमरासी-2, चार-1, सेमर-1	
क्र. 1682ए-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		321	0.170	शीशम-1, तीन्सा-2, पलाश-1, गंधेला-2, खैर-4, लेडिया-2, खसई-1, जमरासी-2, भिलवा-1	
अनुसूची					
(1) भूमि का वर्णन—					
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		323	0.166	शीशम-1, पलाश-1	
(ख) तहसील—चांद					
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मोहगांव कला, प.ह.नं. 23, ब.नं.239 रा.नि.मंडल—चांद.		324/3, 325/2	0.084		
		725/4	0.036		

(1)	(2)
718, 723	0.219 चार-1, बेहड़ा-1, बेर-1
719/1, 720/1, 721/1, 722/1, 719/2, 720/2, 721/2, 722/2	0.226
719/3, 720/3, 721/3, 722/3	0.114
717/1, 717/2-3-4	0.328 बेर-1
680/2	0.054
681	0.052 पलाश-2
680/1	0.062
684/7	0.030
674/2	0.120
674/1	0.104
682/1	0.340
673/2, 673/4	0.104
653/11	0.060
673/3, 673/5	0.083
673/1	0.063
669/3, 670/2	0.020
670/1	0.120
653/7	0.078 पलाश-1
653/8	0.120 पलाश-1, बबूल-1
669/5, 670/3	0.528
653/12	0.120
653/5, 671/2	0.182
652/4	0.020
668/1	0.218 पलाश-2, बबूल-1, लेडिया-2
668/2	0.214
योग . . .	05.181 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 03, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. 346-भू-अर्जन-2015-राजस्व प्रकरण क्रमांक 53अ-82-  
2012-13.—

संशोधित

ग्राम का नाम दाभड़

तहसील ठीकरी

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नम्बर	रकबा	संशोधित प्रविष्टी सर्वे नम्बर	रकबा
14/4	0.150	14/2	0.150

नोट.—शेष सर्वे नंबर एवं क्षेत्रफल जो पूर्व में प्रकाशित हुऐ हैं  
यथावत रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रविन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.